

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023—पौष 23, शक 1944

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-238-2022-5-एक.—श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे (2011), आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-196-2022-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-24-2022-EO (MM-II), दिनांक 7 दिसम्बर 2022 के अनुक्रम में डॉ. तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे (2009) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to the Minister for Agriculture and Farmers Welfare (Shri Narendra Singh Tomar) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के

कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री नायक माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-196-2022-5-एक.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2022 द्वारा डॉ. तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं Private Secretary to Hon'ble the Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare (Shri Narendra Singh Tomar) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं।

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे के कार्यमुक्त होने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-242-2022-5-एक.— श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, भाप्रसे (2011), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,

क्र. ई-1-208-2022-5-एक.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), कलेक्टर, जिला इन्दौर की पदस्थापना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर की गई है।

(2) निर्देशानुसार उक्त आदेश में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009) की पदस्थापना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	संशोधित नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009)	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.

भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री चौधरी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) भोपाल तथा संचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-167-2022-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5/9/2022-EO (MM-I), दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में सुश्री रूही खान, भाप्रसे (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत उपसचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 04 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-245-2022-5-एक.—श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, भाप्रसे (2016), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-244-2022-5-एक.—श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-243-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

## तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
2	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग
3	श्री रघुराज एम. आर. (2004), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.

क्र. ई-1-250-2022-5-एक.—श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे (2007), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को अपने

वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 5-09-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4543-(दो-1-10-2022), दिनांक 23 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 15 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-10-2021-एक (1).—मान. न्यायाधिपति, महोदय श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-5790 (दो-1-19/18), दिनांक 16 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 10 सितम्बर 2022 की शाम से दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023

पंजी. क्र. 04-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला-मुख्यालय, खंडवा में विभागीय आदेश दिनांक 4 मई 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री बंशीलाल राठौर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 05-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-पुष्परजगढ़, जिला-अनूपपुर में विभागीय आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री राजेन्द्र सोनी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 10-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-बरघाट, जिला-सिवनी में विभागीय आदेश दिनांक 10 जून 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री एल. एल. देशमुख (लिखनलाल देशमुख) का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 11-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला-मुख्यालय, उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 30 जून 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री नारायणदास बैरागी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

पंजी. क्र. 06-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-बडवदा, जिला-रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री गोविन्द गिरी गोस्वामी एवं तहसील-आलोट, जिला-रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 10 फरवरी 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री नथमल उपाध्याय का निधन होने के कारण उक्त नोटरीयों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 07-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-अकोदिया, जिला-शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री अशोक श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 08-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, मन्दासौर में विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्रीमती पुष्पा उपाध्याय का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 4332-2022-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 30 अगस्त 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री पूरनचंद स्वामी को उनके द्वारा प्रेषित आवेदन के आधार पर स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

## पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2022

क्र. 228-500-2020-चौवन-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, टास्क मैनेजर जन अभियान परिषद्, भोपाल (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) की सेवाएं विभागीय अनापति के आधार पर प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन इस विभाग में लेते हुए, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2022

क्र. 241-20-2022-चौवन-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को अपने कार्य के साथ-साथ सचिव राज्य हज कमेटी मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(2) उक्त आदेश के फलस्वरूप श्री यासिर अराफात, सचिव राज्य हज कमेटी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र. क्यू-एससी-2022-15355.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2023 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय दिनांक	अवकाश दिन	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गणेश चतुर्थी	19 सितम्बर 2023	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	श्री अनन्त चतुर्दशी महोत्सव	28 सितम्बर 2023	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
3	श्री गोवर्धन भगवान की पूजन (अन्नकूट महोत्सव) दीपावली का दूसरा दिन.	14 नवम्बर 2013	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे।

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

क्र. 65-1059162-2023-सात (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने एवं समीक्षा के प्रयोजन के लिए "राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड" गठित करता है:—

बोर्ड के दायित्व निम्नानुसार होंगे—

1. भूमि अर्जन परियोजनाओं की मानिटरिंग
2. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा
3. प्रक्रियाओं का सरलीकरण
4. विषय विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवायें प्राप्त करना
5. राज्य शासन को अनुशंसायें प्रस्तुत करना

2. उपरोक्त दायित्वों के अधीन "मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग" को "राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड" भी घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग

क्र.-9122-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22(ए)/381/2019/एमपीएस/31/221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-कोहटमाल प0ह0न0-07, ब.न.-83, रा.नि.मं. -लावाघोघरी	रकबा-146.282 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-9121-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-मोहगांव प0ह0न-41, ब.न.-490 रा.नि.म.-छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.594 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	546/2	0.280
2	547/2	0.158
3	546/3	0.457
4	547/3	0.173
5	546/4	0.297
6	547/4	0.149
7	547/7	0.040
8	547/8	0.040
	योग :-	कुल रकबा-01.594 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत मोहगांव पंप हाउस-2 के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं प्र0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेच व्यपवर्तन परियोजना दांथी तट नहर उप संभाग क0 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9123-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिंदवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-खैरीलदू प0ह0न-45, ब.न.-118 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.556 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	35/1	1.275
2	36/1	0.080
3	37/1	0.040
4	37/2	0.040
5	29	0.121
	योग :-	कुल रकबा-01.556 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरीलदू पंप हाउस-1 के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क0 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9530-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-हिवरावासुदेव प0ह0न-66, ब.न.-603 रा.नि.म.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-08.264 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	496	0.405
2	474/1	0.078
3	476/1	0.035
4	463/10	0.162
5	463/11	0.092
6	463/6	0.028
7	463/12	0.122
8	463/13	0.105

9	463/09	0.052
10	463/14	0.105
11	463/8	0.052
12	463/15	0.105
13	463/16	0.061
14	463/7	0.052
15	458/9	0.121
16	458/5	0.161
17	458/3	0.122
18	458/4	0.161
19	460/3/1	0.145
20	256/2/1	0.205
21	255/2/1	0.041
22	254/1/1	0.067
23	251/1	0.223
24	251/4/1	0.378
25	251/2	0.790
26	251/5	0.263
27	244/3	0.202
28	244/5/1	0.077
29	244/5/2	0.280
30	241/2/1	0.041
31	241/3/1	0.029
32	238/2	0.195
33	238/3	0.230
34	241/4	0.303
35	235/1/1	0.029

36	235/2/1	0.030
37	233/1	0.453
38	229	0.709
39	230	0.243
40	225/2	1.216
41	224/1	0.024
42	224/5	0.024
43	224/6	0.024
44	224/7	0.024
	योग :-	कुल रकबा-08.264 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9531-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-अडवार प0ह0न-61, ब.न.-1, रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.768 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	155/1/1	0.300
2	138	0.130
3	136/1/1	0.063
4	135/1/2	0.351
5	130	0.259
6	131/2	0.094
7	129	0.327
8	202/2/1	0.244
	योग :-	कुल रकबा-01.768 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—गोरखपुर आजनी जलाशय के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9533-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-आंजनी प0ह0न-62, ब.न.-12 रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-04.218 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	146/6	0.389
2	146/4	0.595
3	148/1	0.180
4	148/3/1	0.011
5	196/2/1	0.050
6	196/14/1	0.103
7	196/4/1	0.050
8	196/6/1	0.051

9	196/12/1	0.064
10	195/1/1	0.120
11	196/5/1	0.058
12	196/13/1	0.103
13	196/9/1	0.450
14	195/3/1	0.138
15	198/1/1	0.057
16	198/3/1	0.072
17	198/2/1	0.096
18	69	0.081
19	68/1	0.075
20	63	0.138
21	62	0.020
22	64/1	0.102
23	64/2	0.137
24	68/2	0.647
25	68/3	0.088
26	68/4	0.175
27	68/5	0.168
	योग :-	कुल रकबा-04.218 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9532-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-ईकलबिहरी प0ह0न-62, ब.न.-34, रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	1213/1/1	0.094
2	1177/1/1	0.054
	योग :-	कुल रकबा-0.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-9534-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-गोरखपुर प0ह0न-67, ब.न.-136 रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-02.325 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	69/3	0.205
2	69/2/1	0.105
3	69/4/1	0.129
4	69/1/1	0.109
5	76/1/1	0.096
6	81/1	0.065
7	85/7	0.053
8	85/10	0.180

9	85/12/1	0.239
10	85/8	0.082
11	85/11	0.336
12	85/9	0.144
13	10/3/1	0.078
14	9/3/1	0.040
15	9/2/1	0.024
16	15/1/1	0.012
17	15/2/1	0.009
18	16/1	0.012
19	17/1	0.087
20	20/1/1	0.141
21	20/2/1	0.047
22	13/1	0.049
23	249/2	0.083
	योग :-	कुल रकबा-02.325 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-गोरखपुर आजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-18-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

### 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-दूधा प0ह0न-59, ब.न.-192 रा.नि.मं.-पांडुर्णा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-23.520 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	49/1	0.146
2	49/2	0.032
3	52	0.139
4	64/2	0.856
5	65/1	0.751
6	65/2	0.809
7	67/1	0.405
8	73/2	0.277

9	67/2	0.405
10	67/3/2	0.710
11	67/3/1	0.711
12	67/4	0.809
13	67/5	01.056
14	71/1	0.598
15	72	0.239
16	74/3	0.177
17	100/2	0.224
18	113	02.323
19	76/3	0.040
20	76/4	0.065
21	79/2	0.120
22	80	0.090
23	77	0.137
24	95/1/1	0.020
25	95/1/2	0.060
26	95/1/3	0.050
27	95/2	0.607
28	95/3	0.574
29	95/4	0.607
30	100/5	0.323
31	100/1	01.260
32	100/3	0.323
33	100/6/1	0.617
34	100/4	0.323
35	100/6/2	0.617

36	114/1	01.000
37	114/2	01.000
38	114/3	0.428
39	101	01.830
40	111/1	01.578
41	111/3	0.450
42	111/4	0.450
43	111/5	0.089
44	104	0.195
	योग :-	कुल रकबा-23.520 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-दूधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग पांडुर्णा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-19-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-राजोराकला प0ह0न-59, ब.न.-336 रा.नि.म.-पांडुर्णा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-02.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	188	0.397
2	190	2.092
	योग :-	कुल रकबा-02.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-दूधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग पांडुर्णा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-11-अ-82-2021-22

राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-महाराजखेड़ा के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-महाराजखेड़ा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. रकबा)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-महाराजखेड़ा की भूमि की आवश्यकता।	92.728
<b>कुल योग :</b>		<b>92.728</b>

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	बिनोदकुमार पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/1/2/4	0.646	0.388
		69/1/5	0.765	0.153
		203/1	0.101	0.091
	<b>योग :-</b>	<b>3</b>	<b>1.512</b>	<b>0.632</b>
2	लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	54	0.177	0.009
		236/1/1	0.646	0.646
	<b>योग :-</b>	<b>2</b>	<b>0.823</b>	<b>0.655</b>
3	मुकेशकुमार पिता परसराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	57/1	0.410	0.369
		56/2	0.885	0.044
	<b>योग :-</b>	<b>2</b>	<b>1.295</b>	<b>0.413</b>
4	द्वारकाप्रसाद पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	61/1	0.139	0.125
		69/1/3	0.765	0.570
	<b>योग :-</b>	<b>2</b>	<b>0.904</b>	<b>0.695</b>
5	महेश कुमार पिता आसाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	61/2	0.190	0.171
		143/2	0.329	0.115
		172/2	0.291	0.291
		173/2	0.759	0.759
		187/2	2.340	0.740
		204/2	0.152	0.015
		203/2	0.101	0.101
	<b>योग :-</b>	<b>7</b>	<b>4.162</b>	<b>2.192</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
6	प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	61/3 69/3/1 143/3 204/3 203/3	0.164 1.589 0.329 0.164 0.101	0.164 0.318 0.082 0.082 0.101
	योग :-	5	2.347	0.747
7	शैतानसिंह पिता नन्लाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	61/4 69/4 187/4	0.152 3.479 3.352	0.152 1.740 2.346
	योग :-	3	6.983	4.238
8	बापूलाल पिता अमरुसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	62	1.278	0.256
	योग :-	1	1.278	0.256
9	लक्ष्मीचंद पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग, लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग, हेमराज पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग, मुकेश पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग, धनीबाई बेवा रंगलाल हि. 1/6 भाग, सीताबाई पुत्री रंगलाल हि. 1/6 भाग जाति अहीर पता महाराखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65 77/2 202/1/5	2.985 2.510 0.923	2.388 2.510 0.923
	योग :-	3	6.418	5.821
10	दिनेशकुमार पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/1/1 69/1/2/1	0.765 0.645	0.765 0.258
	योग :-	2	1.410	1.023
11	जगमोहन पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/1/4	0.765	0.306
	योग :-	1	0.765	0.306
12	परसराम पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/2	1.897	0.949
	योग :-	1	1.897	0.949
13	सावित्रीबाई पुत्री प्रेमनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/3/2	1.890	1.512
	योग :-	1	1.890	1.512
14	सन्तोष पिता मांगीलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73/1/1	0.182	0.182
	योग :-	1	0.182	0.182
15	हरिनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73/1/2	0.182	0.182
	योग :-	1	0.182	0.182
16	बालकृष्ण पिता पन्नालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73/2 141/7/2 188/1	0.363 0.642 0.158	0.363 0.064 0.111
	योग :-	3	1.163	0.538
17	प्रदीपकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, प्रमोदकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, पवनकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, जाति ब्राहमण पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73/3 188/2	0.364 0.158	0.364 0.111
	योग :-	2	0.522	0.475

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
18	प्रदीपकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, प्रमोदकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, पवनकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, शीलाबाई बेवा मोहनलाल हि. 1/4 भाग, जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73/4	0.364	0.364
		141/7/1	0.643	0.064
		188/3	0.158	0.158
	योग :-	3	1.165	0.586
19	प्रेमलता पत्नी हरिसिंह पवार जाति सौधिया पता निवासी लसुल्डया भीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	74/1	0.696	0.696
	योग :-	1	0.696	0.696
20	गुलाबबाई बेवा भंवरलाल, भूरजी, गंगाराम, देवीसिंह पिता जगन्नाथ रामबाबू पिता रामप्रसाद, कमलेश, लीलाबाई पिता रामप्रसाद गीताबाई बेवा रामप्रसाद पता निवासी लसुल्डयाभीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	74/2	0.126	0.126
		72	0.569	0.341
	योग :-	2	0.695	0.467
21	करनसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, रामकैलाश पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, नारानसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, रामसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	75	1.619	1.619
		157	0.708	0.354
	योग :-	2	2.327	1.973
22	लालसिंह उर्फ मोड़सिंह पिता गंगाराम जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	77/1/1	1.771	1.771
		231/2/1	0.418	0.334
	योग :-	2	2.189	2.105
23	गंगाराम पिता किशनलाल जाति अहीर पता महाजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	77/1/2	0.740	0.740
	योग :-	1	0.740	0.740
24	शिवनारायण पिता मदनलाल जाति अहीर पता महाजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	79/1	0.810	0.810
		223/1	0.771	0.308
	योग :-	2	1.581	1.118
25	मोरसिंह पिता कालूराम हि. 1/2 भाग, रूपसिंह पिता कालूराम हि. 1/2 भाग जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	79/2/1	0.202	0.202
		223/2/1	0.193	0.010
	योग :-	2	0.395	0.212
26	मानसिंह पिता कालूराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	79/2/2	0.202	0.202
		223/2/2	0.193	0.019
	योग :-	2	0.395	0.221
27	सौरमबाई पति कंवरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	79/2/3	0.405	0.405
		223/2/3	0.386	0.019
	योग :-	2	0.791	0.424
28	भंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/1	0.329	0.132
	योग :-	1	0.329	0.132
29	रामसिंह पिता खेमचंद जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/4	0.329	0.165
	योग :-	1	0.329	0.165

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
30	धीसालाल पिता गंगाराम जाति अहीर पता निवासी महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	147 152 231/2/2 146/2/2	0.152 0.379 0.417 0.633	0.152 0.019 0.209 0.317
	योग :-	4	1.581	0.697
31	बापूलाल पिता कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, रामस्वरूप पिता कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, कैलाशबाई बेवा कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, ओमश्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, प्रेमबाई पुत्री कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, जाति नाई पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/1	0.506	0.506
	योग :-	1	0.506	0.506
32	सरजनसिंह पिता जगन्नाथ, हि. 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, जाति नाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/2	0.506	0.506
	योग :-	1	0.506	0.506
33	भंवरलाल रोडू पिता बापूलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150/1 245/5	0.095 0.203	0.095 0.203
	योग :-	2	0.298	0.298
34	पूनमचंद पिता गौरीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150/2 245/6	0.095 0.204	0.095 0.204
	योग :-	2	0.299	0.299
35	कंवरलाल पिता सोतीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150/3 245/2	0.189 0.552	0.095 0.552
	योग :-	2	0.741	0.647
36	रामचरण पिता ईशरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150/4/1 245/1/1	0.095 0.276	0.048 0.276
	योग :-	2	0.371	0.324
37	गुलाबसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150/4/2 245/1/2	0.095 0.276	0.048 0.276
	योग :-	2	0.371	0.324
38	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161/1 160/1	0.498 0.226	0.249 0.045
	योग :-	2	0.724	0.294
39	छमाबाई पति कैलाशचन्द्र जाति लोधा पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161/3 162/2	0.108 0.063	0.050 0.063
	योग :-	2	0.171	0.113
40	करणसिंह पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, लक्ष्मीचंद पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, दौलतराम पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, कंचनबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, गयत्रीबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, कविताबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, जाति लोधा पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	163 165	0.885 1.391	0.531 0.556
	योग :-	2	2.276	1.087

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
41	रामनारायण पिता पन्नालाल जाति देशवाली पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	166/1	0.329	0.329
	योग :-	1	0.329	0.329
42	महेन्द्रसिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाडली ठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	166/2	1.012	1.012
	योग :-	1	1.012	1.012
43	लखनसिंह पिता किशनलाल जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	167	0.835	0.835
		162/1	0.190	0.190
	योग :-	2	1.025	1.025
44	करनसिंह पिता पूनचंद हि. 1/3 भाग, दौलतराम पिता पूनचंद हि: 1/3 भाग, देवराज नाबालिग पिता पूनचंद संरक्षक भाई करनसिंह पिता पूनचंद हि. 1/3 भाग, जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	168	1.164	1.164
		169/2	0.668	0.334
	योग :-	2	1.832	1.498
45	चिम्नलाल पिता गंगाधर जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	169/1	0.091	0.046
	योग :-	1	0.091	0.046
46	दौलतराम पिता मदनलाल जाति अहीर पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	170	1.214	1.214
	योग :-	1	1.214	1.214
47	रामदुलारी पिता गंगाधर जाति देशवाली पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	171	1.860	1.860
		173/3	1.063	1.063
		187/3	2.341	1.873
	योग :-	3	5.264	4.796
48	कमलाबाई पत्नी भेंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	172/1	0.506	0.506
		173/1	1.264	1.264
		68	1.214	0.121
	योग :-	3	2.984	1.891
49	भेंवरलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174/2	0.240	0.240
	योग :-	1	0.240	0.240
50	हरिसिंह पिता ऊंकार जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	176/1	0.051	0.051
		176/2	0.190	0.190
		176/3/3	0.025	0.025
		220/3/3	0.235	0.235
	योग :-	4	0.501	0.501
51	धीसालाल पिता ऊंकार जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	176/3/1	0.266	0.266
		220/3/1	0.235	0.235
	योग :-	2	0.501	0.501
52	कालू पिता उकार जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	176/3/2	0.266	0.266
		220/3/2	0.236	0.236
	योग :-	2	0.502	0.502

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
53	प्रतापसिंह पिता नन्दलाल हि. 1/4 भाग, प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल हि. 1/4 भाग, कंचनबाई पुत्री नन्दलाल हि. 1/4 भाग, रामकलीबाई पुत्री नन्दलाल हि 1/4 भाग, जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	177/1	0.076	0.076
	योग :-	1	0.076	0.076
54	लालाराम पिता कमलसिंह जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/1/1	0.109	0.109
	योग :-	1	0.109	0.109
55	राकेशकुमार पिता कमलसिंह जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/1/2	0.110	0.110
	योग :-	1	0.110	0.110
56	अर्जुनसिंह पिता नारायणसिंह जाति देशवाली पता निवासी महाजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2	0.329	0.329
	योग :-	1	0.329	0.329
57	रामकृष्ण नाबा पिता फतेसिंह सरमाता कौशल्याबाई पति फतेसिंह, हि. 1/3 भाग, अनुश्री पुत्री फतेसिंह हि. 1/3 भाग, कौशल्याबाई बेवा फतेसिंह हि. 1/3 भाग जाति देशवाली पता निवासी महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/3	0.329	0.329
	योग :-	1	0.329	0.329
58	मांगीलाल पिता गिरधारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/1 180/1 180/5 226/1 227/2 228/2 229/2	0.601 0.101 0.108 0.055 0.401 0.295 0.059	0.601 0.101 0.108 0.055 0.401 0.295 0.059
	योग :-	7	1.620	1.620
59	घनश्याम पिता गिरधारी जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/2 180/2 180/4 198/3 226/2 227/1 228/1 229/1	0.601 0.101 0.108 0.835 0.055 0.400 0.295 0.059	0.601 0.101 0.108 0.835 0.055 0.400 0.295 0.059
	योग :-	8	2.454	2.454
60	राधेश्याम पिता गिरधारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/3 180/3 198/2 226/3 227/3 228/3 229/3 230/2	0.101 0.708 0.834 0.054 0.401 0.295 0.034 0.025	0.101 0.708 0.834 0.054 0.401 0.295 0.034 0.025
	योग :-	8	2.452	2.452
61	श्यामकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	182 183/1	0.670 0.108	0.670 0.108
	योग :-	2	0.778	0.778

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
62	ऊषार्कवर पति कृष्णापलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	183/2	0.777	0.777
	योग :-	1	0.777	0.777
63	मोतीलाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	184/1	0.190	0.190
		185/1	0.475	0.475
	योग :-	2	0.665	0.665
64	घीसालाल पिता पूनमचन्द्र जाति देशवाली पता निवासी पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	184/2	0.189	0.189
		185/2	0.474	0.474
		195/2	0.594	0.594
	योग :-	3	1.257	1.257
65	नवलसिंह दिलिपसिंह पिता लालजी जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	186	0.899	0.899
	योग :-	1	0.899	0.899
66	कमलाबाई बेवा मांगीलाल हि. 1/3 भाग, शकुनबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/3 भाग, पवित्राबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/3 भाग जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	188/4	0.158	0.158
	योग :-	1	0.158	0.158
67	सुमित्राबाई पत्नी घीसालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2	1.176	0.176
	योग :-	1	1.176	0.176
68	भारतसिंह पिता मांगीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	194	0.164	0.164
		196	0.316	0.316
		198/1	0.026	0.026
	योग :-	3	0.506	0.506
69	सन्तरीबाई बेवा आसाराम हि. 1/2 भाग, रामबाई पुत्री आसाराम हि. 1/2 भाग, जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	195/1	0.089	0.089
	योग :-	1	0.089	0.089
70	नरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199	0.696	0.696
		200	0.291	0.291
	योग :-	2	0.987	0.987
71	जमनालाल पिता बुधराम हि. 1/2 भाग, रसूमबाई पति जमनालाल हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/1	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
72	हजारी पिता मेहताब हि. 1/2 भाग, बसन्तीबाई पति हजारी हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/2	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
73	कन्हैया पिता मेहताब हि. 1/2 भाग, रोडीबाई पत्नी कन्हैया हि. 1/2 भाग, पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/3	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
74	कल्ला पिता रतन हि. 1/2 भाग, सौरमबाई पत्नी कल्ला हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/6	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
75	मांगीलाल पिता रामलाल हि. 1/2 भाग, कमलाबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग, जाति बसोड पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/7	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
76	बनेसिंह पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, ज्ञानसिंह पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, संजय पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/2	0.455	0.455
	योग :-	1	0.455	0.455
77	प्रेमसिंह पिता जगन्नाथ जाति नाई पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/3/1	0.759	0.759
	योग :-	1	0.759	0.759
78	सरजनसिंह पिता जगन्नाथ जाति नाई पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/3/2	0.759	0.759
	योग :-	1	0.759	0.759
79	हेमराज पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/4/1	0.569	0.569
	योग :-	1	0.569	0.569
80	मुकेश पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/4/2	0.569	0.569
	योग :-	1	0.569	0.569
81	अमरसिंह आ. शंकर हि. 25 पैसे, धनीबाई पत्नि रंगलाल हि. 25 पैसे, जाति अहीर किशनलाल आ. गंगाधर 50 पैसे, जाति सुतार पता नादनपुर भूमि स्वामी	202/5	0.316	0.158
	योग :-	1	0.316	0.158
82	रसूमबाई पत्नी जमनालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/6	0.114	0.114
	योग :-	1	0.114	0.114
83	भंवरलाल, रोडू पिता बापूलाल हजारीलाल, पूनमचंद पिता गौरीलाल सोदानसिंह, मुकेश पिता शिवनारायण भंवरबाई बेवा शिवनारायण जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	204/4 203/4	1.644 0.101	0.082 0.101
	योग :-	2	1.745	0.183
84	कल्याणसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग, रूपसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग, भेरूसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग, जाति राजपूत पता पाड़ली ठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/1/1	1.644	1.644
	योग :-	1	1.644	1.644
85	रोडजी पिता रतन हि. 1/2 भाग, गीताबाई पत्नी रोडजी हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/1/3 231/1/6	0.504 0.385	0.504 0.385
	योग :-	2	0.889	0.889

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
86	तुलसीराम पिता राधेलाल गोकलबाई पति तुलसीराम जाति बसोड पता महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/1/4	0.166	0.166
	योग :-	1	0.166	0.166
87	कमलसिंह दत्तक पुत्र प्यारेलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/2	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
88	प्रभुलाल पिता उम्मेद जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/4	0.089	0.089
		220/5/1	0.164	0.164
	योग :-	2	0.253	0.253
89	विक्रमसिंह पिता प्रभुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/5/2	0.424	0.424
		243	0.051	0.051
		244/1	0.702	0.702
	योग :-	3	1.177	1.177
90	पप्पू पिता प्रभुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/5/3	0.424	0.424
		244/2	0.753	0.753
	योग :-	2	1.177	1.177
91	भानुप्रकाशसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/6	0.506	0.506
		220/7	0.759	0.759
		237/1/1	0.089	0.089
	योग :-	3	1.354	1.354
92	जगदीशप्रसाद पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, रुकमणीबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग, मोहनबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग, गिरजाबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग, देवकीबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग, जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/8	0.202	0.202
	योग :-	1	0.202	0.202
93	दौलतराम, पिता मदनलाल जाति यादव हि. 83/100 भाग, पूरन पिता मदनलाल जाति बलाई हि. 17/100 पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	224	0.253	0.228
		225	0.063	0.063
	योग :-	2	0.316	0.291
94	मांगीलाल पिता बुद्धराम हि. 1/2 भाग, शान्तिबाई पत्नी मांगीलाल हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1/1	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
95	नाथूलाल पिता बुद्धराम हि. 1/2 भाग, उमरावबाई पत्नी नाथूलाल हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1/2	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
96	दयाराम पिता प्रभुलाल हि. 1/2 भाग, दरियावबाई पति दयाराम हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1/3	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
97	रामचरण पिता बुद्धराम जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1/4	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
98	अमरलाल पिता बुधराम हि. 1/2 भाग, सुगनबाई पत्नी अमरलाल हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1/5	0.923	0.923
	योग :-	1	0.923	0.923
99	हरिसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/2/3	0.418	0.380
	योग :-	1	0.418	0.380
100	दिलवरसिंह पिता मांगीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	236/2/2	0.638	0.638
	योग :-	1	0.638	0.638
101	रामचरण पिता मांगीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	236/2/1	0.475	0.475
		241	0.164	0.164
	योग :-	2	0.639	0.639
102	लक्ष्मीचन्द पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	236/1/2	0.455	0.455
		235	0.190	0.646
	योग :-	2	0.645	1.101
103	निहालसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	237/3	0.891	0.891
	योग :-	1	0.891	0.891
104	कल्याणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	237/2	0.890	0.890
	योग :-	1	0.890	0.890
105	नेपालसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	237/1/3	0.846	0.846
	योग :-	1	0.846	0.846
106	राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	237/1/2	0.846	0.846
	योग :-	1	0.846	0.846
107	गिरधारी पुत्र हरीबगस जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	238	0.379	0.379
	योग :-	1	0.379	0.379
108	रवि पिता रमेशचंद्र जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	239	0.240	0.240
		240	0.266	0.266
		242	0.822	0.822
	योग :-	3	1.328	1.328
109	हजारीलाल पिता गौरीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	245/3	0.072	0.072
	योग :-	1	0.072	0.072
110	सौदानसिंह पिता शिवनारायण हि. 1/3 भाग, मुकेश पिता शिवनारायण हि. 1/3 भाग, भवरीबाई बेवा शिवनारायण हि. 1/3 भाग, जाति लौदा महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	245/4	0.074	0.074
	योग :-	1	0.074	0.074

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
111	श्री रामजानकी मंदिर समिति महाराजखेड़ा पदेन अध्यक्ष परसराम पिता भंवरलाल जाति मंदिर पता निवासी ग्राम देवस्थान	174/1 175 177/2	0.164 0.177 0.126	0.164 0.177 0.126
	योग :-	3	0.467	0.467
112	भगवानसिंह पिता कमलसिंह जाति देशवाली महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/1/3	0.110	0.110
	योग :-	1	0.110	0.110
113	करनसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, कैलाश पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, नारानसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, रामसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	78/1	1.390	0.278
	योग :-	1	1.390	0.278
114	देवेन्द्र पिता दयालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/3	1.011	0.202
	योग :-	1	1.011	0.202
115	दयालसिंह पिता मोतीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	76/1	0.727	0.654
	योग :-	1	0.727	0.654
116	रमेशचन्द्र पिता मोतीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	76/2	0.728	0.655
	योग :-	1	0.728	0.655
	महायोग :-	212	117.521	92.728

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-12-अ-82-2021-22

राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-पाडलीठाकुर के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,  
ग्राम-पाडलीठाकुर

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		रकबा	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-पाडलीठाकुर की भूमि की आवश्यकता।	65.556	
	कुल योग :	65.556	

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गोरधनसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/2/2/1 139/3/2 21/2/2	0.379 0.253 1.517	0.379 0.253 0.910
		कुल 3 किता	2.149	1.542
2	जगदीश राठोड पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/2/2/2 7	0.253 0.291	0.253 0.291
		कुल 2 किता	0.544	0.544
3	जगदीशसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/5/1	1.695	1.695
		कुल 1 किता	1.695	1.695
4	भंवरसिंह, लक्ष्मणसिंह, गोविन्दसिंह, राजेन्द्रसिंह, मूलकुंवर, मानकुंवर, कमलेश संजूकुंवर पिता मदनसिंह प्रेमकुंवर बेवा मदनसिंह शंकरसिंह, मोतीसिंह, मोनूसिंह, हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23 140 5 6	1.025 1.542 1.518 1.644	1.025 0.308 0.152 1.315
		कुल 4 किता	5.729	2.800
5	कृष्णाकुंवर पति जगदीशसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	25	1.897	1.897
		कुल 1 किता	1.897	1.897

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
6	मदनसिंह, शंकरसिंह, मोतीसिंह, हिम्मतसिंह, भोनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/1	1.948	0.195
		कुल 1 किता	1.948	0.195
7	रामसिंह पिता डूगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/2/1	1.047	1.047
		139/2	1.370	0.274
		कुल 2 किता	2.417	1.321
8	रामसिंह राठोड पिता डूगरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/5/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
9	जंगबहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/2/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
10	जंगबहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/1	1.518	0.759
		कुल 1 किता	1.518	0.759
11	जालमसिंह पिता डूगरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/3	0.650	0.650
		कुल 1 किता	0.650	0.650
12	अजयपालसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/4	1.948	0.390
		कुल 1 किता	1.948	0.390
13	नवलसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/1	0.165	0.165
		202/2/1	0.535	0.535
		17/1	0.089	0.089
		18/1	0.535	0.027
		19/1	0.239	0.012
		कुल 5 किता	1.563	0.828
14	रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/2	0.323	0.323
		202/2/2	0.377	0.377
		17/3	0.102	0.102
		18/3	0.413	0.041
		19/3	0.349	0.017
		कुल 5 किता	1.564	0.860
15	भंवरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग, कृष्णपालसिंह पिता प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग, प्रेमकंवर बेवा प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग, जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/3	0.290	0.290
		202/2/3	0.284	0.284
		कुल 2 किता	0.574	0.574
16	नरेद्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/4	0.255	0.255
		202/2/4	0.319	0.319
		कुल 2 किता	0.574	0.574

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मै)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
17	राजवर्धनसिंह, महेन्द्रवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह श्यामाकुंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/5	0.215	0.215
		202/2/5	0.485	0.485
		17/4	0.112	0.112
		18/4	0.233	0.023
		20	0.266	0.040
		19/4	0.253	0.051
		<b>कुल 6 किता</b>	<b>1.564</b>	<b>0.926</b>
18	रतनसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/6/6	0.700	0.700
		17/2	0.102	0.102
		18/2	0.413	0.021
		19/2	0.348	0.035
		<b>कुल 4 किता</b>	<b>1.563</b>	<b>0.858</b>
19	रूपसिंह, सोनाथसिंह, कल्याण, भेरू, हेमराज पिता गुलाबसिंह मुलकुंवर पिता गुलाब जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/2	1.971	1.971
		28	1.632	0.653
		63/2	0.253	0.202
		211/3	0.759	0.380
		32	1.566	0.626
		<b>कुल 5 किता</b>	<b>6.181</b>	<b>3.832</b>
20	शिवकुंवर पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/2/1	1.064	0.106
			<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.064</b>
21	विजयपालसिंह पिता मंगलसिंह हि. 1/2 भाग, जतनकुंवर बेवा मंगलसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/2/2	0.454	0.023
		136	0.089	0.089
		139/1	2.028	1.622
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>2.571</b>	<b>1.734</b>
22	रघुवीरसिंह पिता नन्नूसिंह हि. 1/2 भाग, मनोहरसिंह पिता नन्नूसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	60/1	0.316	0.253
		61	0.063	0.032
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>0.379</b>	<b>0.285</b>
23	भंवरसिंह, लक्ष्मणसिंह, गोविन्दसिंह, राजेन्द्रसिंह, मूलकुंवर, मानकुंवर, कमलेश संजूकुंवर, प्रेमकुंवर पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	137/1	0.582	0.466
		137/2	0.329	0.033
		138	0.240	0.240
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.151</b>	<b>0.739</b>
24	प्रेमसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	139/3/1	1.446	1.446
			<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.446</b>
25	प्रेमसिंह राठोड पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/2/1/2	0.253	0.253
			<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.253</b>
26	कृष्णपालसिंह राठौर पिता भानुप्रकाशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/3	0.253	0.253
		206/2/1/2	0.190	0.190
		207/1	0.897	0.897
		205	0.038	0.038
		<b>कुल 4 किता</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
27	भंवरलाल पिता मोतीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/4	0.696	0.696
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.696</b>	<b>0.696</b>
28	नेपालसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/1/1	1.000	1.000
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
29	शौर्यवर्धनसिंह नाबालिग पिता सरपर माता अर्चनाकुँवर हि. 1/2 भाग, अर्चनाकुँवर पति नेपालसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/1/2	1.486	1.486
		209/2	0.594	0.594
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
30	अर्चनाकुँवर पति नेपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/1/3	1.487	1.487
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
31	राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/2/1/1	0.810	0.810
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.810</b>	<b>0.810</b>
32	महेन्द्रपालसिंह माता सरपर माता राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग, राजेन्द्रसिंह माता सरपर माता राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग, राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग, जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/2/2	1.195	1.195
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>
33	कुलदीपसिंह नावा पिता राजेन्द्रसिंह सरपर माता राजकुमारी हि. 1/2 भाग, राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/2/3	1.195	1.195
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>
34	राजकुमारी पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/2/4	1.390	1.390
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
35	भानुप्रकाशसिंह नाबालिग पिता रूपसिंह सर पिता स्वयं जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	208	1.584	1.584
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
36	भानुप्रकाशसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	207/2	1.000	1.000
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
37	नन्नूलाल पिता हजारीलाल जाति देशवाली पता नि. महाराजाखेडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	209/1	0.506	0.506
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
38	रूपसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/1	0.132	0.132
		कुल 1 किता	<b>0.132</b>	<b>0.132</b>
39	सोमनाथ पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/2	0.133	0.133
		कुल 1 किता	<b>0.133</b>	<b>0.133</b>
40	कल्याणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/3	0.133	0.133
		कुल 1 किता	<b>0.133</b>	<b>0.133</b>
41	महेश्रवरसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/4	0.133	0.133
		कुल 1 किता	<b>0.133</b>	<b>0.133</b>
42	गजराजसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/5	0.131	0.118
		कुल 1 किता	<b>0.131</b>	<b>0.118</b>
43	जगन्नाथ पिता मेहताब जाति लोदा पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2/1	0.032	0.032
		234/2	0.063	0.057
		235/1	0.025	0.023
		224/1	0.083	0.058
		कुल 4 किता	<b>0.203</b>	<b>0.170</b>
44	देवालाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2/2	0.033	0.033
		236/2	0.069	0.021
		235/2	0.025	0.023
		224/2	0.083	0.042
		कुल 4 किता	<b>0.210</b>	<b>0.119</b>
45	नन्नूलाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2/3	0.033	0.033
		234/1	0.064	0.058
		236/3	0.069	0.069
		235/3	0.026	0.026
		237/3	0.888	0.178
		224/3	0.084	0.042
		कुल 6 किता	<b>1.164</b>	<b>0.406</b>
46	रामचरण पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2/4	0.033	0.033
		233/3	0.424	0.042
		234/3	0.063	0.057
		236/4	0.069	0.048
		235/4	0.025	0.025
		237/4	0.888	0.089
		224/4	0.084	0.050
		कुल 7 किता	<b>1.586</b>	<b>0.344</b>
47	नाथूलाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2/5	0.033	0.033
		233/4	0.423	0.212
		235/5	0.025	0.015
		234/4	0.063	0.057
		224/5	0.083	0.066
		कुल 5 किता	<b>0.627</b>	<b>0.383</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.से)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.से)
48	धीरपसिंह, घासीराम पिता कन्हैयालाल खेमीबाई बेवा कन्हैयालाल ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल फूलबाई बेवा बंशीलाल पता पाडलीदुपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	230	0.644	0.129
		कुल 1 किता	0.644	0.129
49	गुमानसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	241/1	0.060	0.060
		कुल 1 किता	0.060	0.060
50	भूपेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह हि. 1/2 भाग, गोतमकुंवर पति भूपेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	241/2 /	0.142	0.085
		240/2 /	0.171	0.034
		कुल 2 किता	0.313	0.119
51	देवेन्द्रसिंह पिता जगदीश हि. 1/2 भाग, सरिताकुंवर पति देवेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	242/2/1 /	1.570 /	0.125 /
		कुल 1 किता	1.570	0.125
52	गेंदकुंवरबाई पति कल्याणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193	0.126	0.126
		194	1.012	0.810
		195		
		कुल 3 किता	1.138	0.936
53	राजपालसिंह पिता सोनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	212	0.038	0.038
		213	0.025	0.025
		214	0.038	0.038
		215	0.051	0.051
		कुल 4 किता	0.152	0.152
54	श्रीमति लालकुंवर पत्नी सोमनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	211/1/2	0.759	0.607
		कुल 1 किता	0.759	0.607
55	हजारी हि. 7 पैसे, जमाना हि. 11 पैसे, आ. नरमा शक्करियाबाई बेवा नरमा हि. 7 पैसे, अमरा आ. कालू हि. 67 पैसे जाति चमार खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत हि. 8 पैसे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	211/2	1.834	0.917
		कुल 1 किता	1.834	0.917
56	हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	217/1/1/1	1.000	0.800
		कुल 1 किता	1.000	0.800
57	बलबहादर पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	217/1/1/2	1.000	0.100
		217/1/2	0.682	0.614
		कुल 2 किता	1.682	0.714
58	मोतीसिंह सिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	244	1.227	1.104
		246		
		4/1	1.195	0.478
		कुल 3 किता	2.422	1.582

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
59	शंकरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	245	1.657	1.657
		कुल 1 किता	1.657	1.657
60	खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	243/1	1.101	0.661
		कुल 1 किता	1.101	0.661
61	रामगोपाल पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, सीताराम पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, रमेश पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, जाति बैरागी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	243/2	1.391	0.417
		कुल 1 किता	1.391	0.417
62	अजयपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	249/1/1	0.200	0.200
		248/1/1	0.800	0.800
		कुल 2 किता	1.000	1.000
63	कृष्णपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	249/1/2	0.200	0.200
		248/1/2	0.800	0.800
		कुल 2 किता	1.000	1.000
64	महेन्द्रपालसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/2	1.196	0.478
		कुल 1 किता	1.196	0.478
65	बापूलाल पिता किशनलाल जाति देशवाली पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	2	0.063	0.063
		3	1.619	1.619
		कुल 2 किता	1.682	1.682
66	भूपेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8	1.733	0.520
		13/1	0.076	0.076
		कुल 2 किता	1.809	0.596
67	देवेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	13/2	0.291	0.029
		14	1.518	0.455
		कुल 2 किता	1.809	0.484
68	गणपतसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15	1.328	1.328
		कुल 1 किता	1.328	1.328
69	धर्मपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/1	2.355	1.649
		कुल 1 किता	2.355	1.649

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
70	कुमेरसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग, नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग, भंवरसिंह पिता प्रभुनाथसिंह हि. 1/6 भाग, प्रहलादसिंह नाबा पिता रतनसिंह हि. 1/6 भाग, हरिसिंह नाबा सरपरस्त पिता रामनाथसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग, प्रेमसिंह नाबा पिता नवलसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/1/1	2.528	1.517
		कुल 1 किता	2.528	1.517
71	हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/5 भाग, लक्ष्मण नाबा पिता मदनसिंह हि. 1/5 भाग, मंगलसिंह पिता शंकरसिंह हि. 1/5 भाग, अजयसिंह पिता मोहनसिंह हि. 1/5 भाग, कमसेनसिंह नाबा पिता मोतीसिंह सर पर पिता स्वयं हि. 1/5 भाग, जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/1/2	1.861	1.861
		कुल 1 किता	1.861	1.861
72	जगवहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/2/1/1	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
	महायोग :-	कुल 143 किता	92.891	65.556

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-15-अ-82-2021-22

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-बगवाज के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-बगवाज

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
		रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बगवाज की भूमि की आवश्यकता।	64.590
	कुल योग :	64.590

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
1	2	3	4	5
1	घीसालाल पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	410/1	0.257	0.103
		410/2	0.143	0.143
		कुल 2 कित्ता	0.400	0.246
2	रामचरण पिता मांग्या हि. 1/4 भाग, सुगनाबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग, संगीताबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग, शैतानबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	156/3	0.354	0.150
		कुल 1 कित्ता	0.354	0.150
3	रामस्वरूप पिता काशीराम जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	309/2/1	0.250	0.250
		411/1/1	0.095	0.095
		412	0.190	0.114
		413/2/2	1.682	0.841
		432/1	0.664	0.664
		459/2	1.929	0.965
		कुल 6 कित्ता	4.810	2.929

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
4	मिश्रीलाल पिता मदनलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	309/2/2	0.250	0.250
		413/1	0.700	0.700
		432/2	0.664	0.664
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>
5	दौलतराम पिता बैजनाथ जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	385/1/1	2.353	1.882
		384/1/4	1.176	0.470
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>3.529</b>	<b>2.352</b>
6	नोरंगबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	385/1/2	0.506	0.455
		414/1/1/2/2	0.126	0.113
		414/1/1/3/2	0.379	0.322
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.011</b>	<b>0.890</b>
7	कंचनबाई पति धीरपसिंह जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	385/2	0.506	0.304
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.506</b>	<b>0.304</b>
8	कान्ताप्रसाद पिता वालमुकन्द जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/1	1.138	1.138
		454/1	0.253	0.253
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>1.391</b>	<b>1.391</b>
9	गजराजसिंह पिता रतनलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/2	1.138	0.910
		439	1.512	1.512
		454/2	1.415	0.779
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>4.065</b>	<b>3.201</b>
10	ग्यारसीराम पिता दोला जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/1	1.549	0.620
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.549</b>	<b>0.620</b>
11	घीसा, लछमन, हरी, गोपी, गुलाबबाई पिता गणपत जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/2	0.569	0.569
		444		
		445	1.050	1.050
		447		
		4486	1.366	1.366
		449	0.190	0.190
		<b>कुल 7 किता</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>
12	रोशनलाल पुत्र सोबक्ष जाति लोधा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/9/1	0.095	0.019
		451/5	0.057	0.057
		452/5	0.065	0.065
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>0.217</b>	<b>0.141</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
13	हरिप्रसाद पिता गोपीलाल हि. 1/3 भाग, करणसिंह पिता गोपीलाल हि. 1/3 भाग, चिन्ताबाई पुत्री गोपीलाल हि. 1/3 भाग, जाति नाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	399/1	0.380	0.190
		कुल 2 किता	0.380	0.190
14	बाबूलाल, कालूराम, जगदीश, ओमप्रकाश, सौरमबाई, अजबबाई, पिता मिश्रीलाल कमलाबाई बेवा मिश्रीलाल जाति नाई पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	399/2	0.632	0.253
		कुल 1 किता	0.632	0.253
15	हेमराज दत्तक पांचीबाई हि. 1/3 भाग, शिवराज दत्तक पांचीबाई हि. 1/3 भाग, सरजन दत्तक पांचीबाई हि. 1/3 भाग, जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	404/1	3.908	1.954
		कुल 1 किता	3.908	1.954
16	लक्ष्मीचंद पिता आशाराम जाति लोडा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	404/2/1/1	0.380	0.114
		कुल 1 किता	0.380	0.114
17	फुलसिंह पिता नन्नूलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	404/2/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
18	महेश पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	450/1/2	0.240	0.240
		398/4/1	0.159	0.159
		398/3/2	0.474	0.474
		398/6/2	0.443	0.443
		कुल 4 किता	1.316	1.316
19	करणसिंह पिता हरिराम जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	407 408/2	0.266	0.027
		कुल 2 किता	0.266	0.027
20	परसराम गणपत मोतीलाल पुत्र छीतर हि. 33 पै. रामगोपाल मांगीलाल बद्दीलाल पि. मोतीलाल गीताबाई पुत्री मोतीलाल हि. 17 पै. गुलाबसिंह पुत्र गणपत हि. 13 पै. कवरलाल भेरुसिंह पि. सोभा हि. 07 पै. परसराम पुत्र छीतर हि. 05 पै. सोभा पि. छीतर हि. 17 पै. घासीराम पिता सोभा हि. 07 पै. जाति लोदा भूमि स्वामी छीतर हरिप्रसाद पि. गणपत हि. 01 पै. बद्दीलाल पि. मोतीलाल गीताबाई पुत्री मोतीलाल हि. 17 पै. गुलाबसिंह पुत्र गणपत हि. 13 पै. कवरलाल भेरुसिंह पि. सोभा हि. 07 पै. परसराम पुत्र छीतर हि. 05 पै. सोभा छीतर हि. 17 पै. घासीराम पिता सोभा हि. 07 पै. मोती पि. जाति लोदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	409/2	0.114	0.034
		410/3	0.769	0.692
		410/4	0.426	0.426
		462	0.126	0.038
		464	0.228	0.068
		कुल 5 किता	1.663	1.258

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
21	इन्दरसिंह पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	411/1/2	0.095	0.095
		413/3/3	0.361	0.361
		कुल 2 किता	<b>0.456</b>	<b>0.456</b>
22	अनारसिंह, कैलाश, मथुरालाल, मुकेश, लाडकुंवरबाई, रामसकीबाई, पिता नन्नूलाल सरूपीबाई बेवा नन्नूलाल जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	411/2/1	0.338	0.237
		कुल 1 किता	<b>0.338</b>	<b>0.237</b>
23	प्रतापसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	428/1/2	0.164	0.164
		कुल 1 किता	<b>0.164</b>	<b>0.164</b>
24	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	414/1/1/1	0.506	0.506
		431/1	0.272	0.272
		413/2/1	0.101	0.051
		440/2/6/2	0.162	0.162
		398/5/2	0.080	0.080
		398/7/3/2	0.105	0.105
		कुल 6 किता	<b>1.226</b>	<b>1.176</b>
25	लक्ष्मीचन्द पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	413/3/1	0.361	0.325
		कुल 1 किता	<b>0.361</b>	<b>0.325</b>
26	सागरसिंह पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	413/3/2	0.361	0.343
		कुल 1 किता	<b>0.361</b>	<b>0.343</b>
27	दौलतराम पिता रोडजी जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	414/1/1/2/1	0.380	0.380
		कुल 1 किता	<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
28	प्रेमसिंह पिता रामनारायण जाति लोधा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	414/1/1/3/1	0.190	0.057
		कुल 1 किता	<b>0.190</b>	<b>0.057</b>
29	श्रीमति राधाबाई पति बद्रीलाल जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	414/1/2	0.418	0.418
		कुल 1 किता	<b>0.418</b>	<b>0.418</b>
30	बद्रीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	415	0.266	0.266
		430/1/2/2	0.189	0.189
		440/2/6/3	0.175	0.175
		398/7/3/3	0.106	0.106
		398/5/3	0.080	0.080
		कुल 5 किता	<b>0.816</b>	<b>0.816</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
31	ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/1	1.518	1.139
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.518</b>	<b>1.139</b>
32	रमेशचन्द्र पिता शोभाराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/2	1.252	1.252
		426/1	0.101	0.101
		429/1	0.475	0.475
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>
33	तुलसीराम पिता शोभाराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/3	0.253	0.253
		426/2	0.101	0.101
		429/2	0.474	0.474
		458/2	0.269	0.013
		<b>कुल 4 किता</b>	<b>1.097</b>	<b>0.841</b>
34	जतनबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	417/1/1	0.852	0.426
		417/2/1	0.319	0.319
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>1.171</b>	<b>0.745</b>
35	लखन पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग, सरवनसिंह पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग, कलाबाई बेवा बापूलाल हि. 1/5 भाग, प्रेमसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग, तखतसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग, जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	417/1/2	1.701	1.191
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.701</b>	<b>1.191</b>
36	सुरेश पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग, संतोष पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग, प्रदीप पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग, गायत्रीबाई बेवा हरिशंकर हि. 1/4 भाग, जाति ब्राहमण पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	422/1	0.581	0.581
		423/1/2	1.626	1.626
		424		
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>
37	हरिप्रसाद पिता धूलजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	422/2/1	0.379	0.379
		423/1/1/1	0.724	0.724
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
38	करणसिंह पिता धूलजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	422/2/2	0.254	0.254
		423/1/1/2	0.724	0.724
		423/2	0.126	0.126
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
39	करणसिंह पिता धूलजी हि. 1/3 भाग, हरिप्रसाद पिता धूलजी हि. 1/3 भाग, बबरीबाई बेवा धूलजी हि. 1/3 भाग, जाति पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	425	1.594	1.355
		420	0.505	0.025
		421	0.290	0.290
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>2.389</b>	<b>1.670</b>
40	हरचंद पिता रामरतन जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	428/1/1	0.164	0.164
		384/2/1	0.084	0.084
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>0.248</b>	<b>0.248</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
41	बंशीलाल पिता रामरतन जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	428/1/3	0.165	0.165
		384/2/3	0.084	0.084
		<b>कुल 2 कित्ता</b>	<b>0.249</b>	<b>0.249</b>
42	रामगोपाल पिता मोतीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	430/1/2/1	0.095	0.095
		440/2/6/1	0.169	0.169
		430/2	0.281	0.281
		398/5/1	0.080	0.080
		398/7/3/1	0.106	0.106
		<b>कुल 5 कित्ता</b>	<b>0.731</b>	<b>0.731</b>
43	हरिप्रसाद पिता गणपत हि. 1/4 भाग, रोडीबाई पिता गणपत हि. 1/4 भाग, लीलाबाई पिता गणपत हि. 1/4 भाग, गुलाब पिता गणपत हि. 1/4 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	431/2	0.272	0.272
		<b>कुल 1 कित्ता</b>	<b>0.272</b>	<b>0.272</b>
44	कचनबाई पिता शंकरलाल जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433	1.784	1.784
		<b>कुल 1 कित्ता</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>
45	कुन्जीलाल, प्रेमसिंह, कमल, बिहारी पिता प्यारा सम्पत बेवा प्यारा जाति गाडरी बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	434	0.582	0.582
		436	0.822	0.822
		437/1	0.733	0.733
		<b>कुल 3 कित्ता</b>	<b>2.137</b>	<b>2.137</b>
46	प्रतापसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/2 भाग, सैतानबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	435	1.607	1.607
		<b>कुल 1 कित्ता</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>
47	सूरजसिंह पिता बालमुकन्द जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	437/2	1.000	1.000
		438/1	0.037	0.037
		<b>कुल 2 कित्ता</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>
48	राधेश्याम पिता बालमुकन्द हि. 1/2 भाग, पारवतीबाई बेवा बालमुकन्द हि. 1/2 भाग, जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	438/2	1.038	1.038
		<b>कुल 1 कित्ता</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
49	गोपीलाल पिता देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	440/1	0.253	0.253
		<b>कुल 1 कित्ता</b>	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
50	बनेसिंह पिता घीसा जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	442/1	0.200	0.200
		443/1	0.629	0.629
		<b>कुल 2 कित्ता</b>	<b>0.829</b>	<b>0.829</b>
51	जालमसिंह पिता घीसा जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	442/2	0.104	0.104
		443/2	0.725	0.725
		<b>कुल 2 कित्ता</b>	<b>0.829</b>	<b>0.829</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
52	मुकेश पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	450/1/1	0.240	0.240
		398/4/2	0.158	0.158
		398/3/4	0.474	0.474
		398/6/1	0.443	0.443
	कुल 4 किता	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	
53	मोहन पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	450/1/3	0.240	0.240
		398/4/4	0.158	0.158
		398/6/3	0.443	0.443
		398/3/3	0.475	0.475
	कुल 4 किता	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	
54	सुनिताबाई पति कमलेश जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	450/1/4	0.241	0.241
		398/4/3	0.158	0.158
		398/3/1	0.474	0.474
		398/6/4	0.442	0.442
	कुल 4 किता	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	
55	मोडसिंह पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, शिवनारायण पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, मांगीलाल पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, पप्पू पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, धनीबाई बेवा मोतीलाल हि. 1/5 भाग, जाति लोधा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	451/1	0.137	0.137
		451/7	0.026	0.026
		452/1	0.106	0.106
	कुल 3 किता	<b>0.269</b>	<b>0.269</b>	
56	बालाप्रसाद पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग, रमेश पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	451/2	0.051	0.051
		452/2	0.166	0.166
	कुल 2 किता	<b>0.217</b>	<b>0.217</b>	
57	गुलाबसिंह पिता सूजरसिंह रेखाबाई पिता कालूराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	451/3	0.051	0.051
		451/6	0.026	0.026
		452/3	0.167	0.167
	कुल 3 किता	<b>0.244</b>	<b>0.244</b>	
58	भंवरलाल पिता सोवक्ष जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	451/4	0.057	0.057
		452/4	0.065	0.065
		398/9/2	0.095	0.019
	कुल 3 किता	<b>0.217</b>	<b>0.141</b>	
59	लालचंद पिता ग्यारसीराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	453/1	1.000	0.800
		453/2	0.518	0.363
	कुल 2 किता	<b>1.518</b>	<b>1.163</b>	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
60	गुलाबसिंह पिता ग्यारसीराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	453/4	1.264	0.758
		कुल 1 किता	<b>1.264</b>	<b>0.758</b>
61	फूलसिंह पिता रतन जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	454/3	2.500	0.875
		454/4	0.060	0.060
		कुल 2 किता	<b>2.560</b>	<b>0.935</b>
62	गुलाबसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग, नारानीबाई बेवा रतन हि. 1/2 भाग, जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	454/5	1.010	0.152
		कुल 1 किता	<b>1.010</b>	<b>0.152</b>
63	फूलसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग, गजराजसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग, जाति मीना पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	454/6	0.011	0.011
		कुल 1 किता	<b>0.011</b>	<b>0.011</b>
64	रोशनलाल पिता किशोरीलाल जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	455/1	0.163	0.016
		458/1	0.051	0.003
		कुल 2 किता	<b>0.214</b>	<b>0.019</b>
65	सन्तराबाई पति प्रेमनारायण जाति चमार पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	459/1/1	0.643	0.322
		कुल 1 किता	<b>0.643</b>	<b>0.322</b>
66	परसराम मांगीलाल सरूपीबाई सरदारबाई लीलाबाई गोराबाई पिता देवीराम सुशीलाबाई पिता मानसिंह सविता शिवानी सोनिया पिता मानसिंह राजकुमार नाबा. पिता मानसिंह सप.माता सुशीलाबाई बेवा मानसिंह जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	466	0.240	0.096
		465	0.455	0.023
		कुल 2 किता	<b>0.695</b>	<b>0.119</b>
67	जयप्रकाश पिता जालमसिंह जाति लोधा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	404/2/1/2	0.632	0.316
		कुल 1 किता	<b>0.632</b>	<b>0.316</b>
68	कमलसिंह पिता लक्ष्मण जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/7/1	0.126	0.126
		398/7/2	0.126	0.126
		कुल 2 किता	<b>0.252</b>	<b>0.252</b>
69	दौलतराम पिता कशीराम जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	384/1/2/1	0.632	0.506
		कुल 1 किता	<b>0.632</b>	<b>0.506</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
70	फूलसिंह गुलावसिंह गजराजसिंह पिता रतन मु. नारानीबाई वेवा रतन हि. 55/100 भाग, प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल नारानसिंह पिता दयाराम हि. 45/100 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	384/1/2/2	0.292	0.117
		कुल 1 किता	<b>0.292</b>	<b>0.117</b>
71	कमलेश श्याम पिता सुरेशचंद्र जाति बैरागी पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	384/1/5	0.506	0.253
		कुल 1 किता	<b>0.506</b>	<b>0.253</b>
72	दिनेश पिता रोशनलाल जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	384/2/2	0.085	0.043
		कुल 1 किता	<b>0.085</b>	<b>0.043</b>
73	कवरलाल पिता सोमाजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/10/1	0.575	0.460
		कुल 1 किता	<b>0.575</b>	<b>0.460</b>
74	लक्ष्मण पिता सोमाजी जाति लाधा पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/10/2	0.576	0.461
		कुल 1 किता	<b>0.576</b>	<b>0.461</b>
75	भेरूसिंह पिता सोमाजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/10/3	0.576	0.403
		कुल 1 किता	<b>0.576</b>	<b>0.403</b>
76	बादामबाई पति रामगोपाल जाति लोदा पात राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	414/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
77	सायानीबाई पति प्रेमसिंह हि. 1/2 भाग, अरुण पिता तखतसिंह हि. 1/2 भाग, जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	417/2/2	0.531	0.053
		कुल 1 किता	<b>0.531</b>	<b>0.053</b>
78	कृष्णपालसिंह पिता बापूलाल जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	428/2/2	0.247	0.247
		कुल 1 किता	<b>0.247</b>	<b>0.247</b>
79	हरिप्रसाद पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	440/2/1	0.346	0.346
		440/2/4	0.253	0.253
		440/2/3/2	0.127	0.127
		कुल 3 किता	<b>0.726</b>	<b>0.726</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
80	फूलसिंह खुशीलाल, पिता परसराम, अनारसिंह कैलाश मुकेश मथरालाल पिता नन्नूलाल सरूपीबाई बेवा नन्नूलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	440/2/2	0.354	0.354
		440/2/7	0.283	0.283
		440/4	0.253	0.253
		440/3	0.190	0.190
		कुल 4 किता	1.080	1.080
81	गुलाबसिंह पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	440/2/3/1	0.220	0.220
		कुल 1 किता	0.220	0.220
82	गुलाबबाई बेवा सोमाजी हि. 1/3 भाग, सुन्दरबाई बेवा सोमाजी हि. 1/3 भाग, रामभरोस पिता सोमा हि. 1/3 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	440/2/5	0.440	0.440
		कुल 1 किता	0.440	0.440
83	रघुवीरसिंह पिता बापूलाल जाति लोदा पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	428/2/1	0.246	0.246
		कुल 1 किता	0.246	0.246
84	खसरे में नाम अंकित नहीं है।	430/1/1	0.284	0.284
		कुल 1 किता	0.284	0.284
	महायोग :-	कुल 170 किता	82.564	64.590

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-16-अ-82-2021-22

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-पाडलीगुसाई के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## -: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,  
ग्राम-पाडलीगुसाई

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
		रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-पाडलीगुसाई की भूमि की आवश्यकता।	28.074
कुल योग :		28.074

## -: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
1	दोलतगिर पिता देवीगिर रमेशगिर बद्रीगिर लीलाबाई बेवा कल्लूगिर जाति चमार हि. 25/100 भाग, प्रभूलाल पिता रामलाल जाति चमार हि. 25/100 भाग, गणपतगिर अर्जुनगिर भूरीबाई पिता छोटेगिर जाति गुसाई हि. 50/100 भाग, पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	56	0.013	0.013
		कुल 1 किता	0.013	0.013
2	घनश्याम गिर पिता नारानगिर जाति गुसाई पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/9/1	1.264	1.264
		कुल 1 किता	1.264	1.264
3	प्रसादगिर, रामेश्वरगिर पिता जमनागिर अमरीबाई बेवा जमनागिर घीसागिर पिता राजगिर राजगिर पुत्री राजगिर, पिकीबाई पुत्री राजगिर बत्तूबाई बेवा राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/9/2	1.265	1.265
		कुल 1 किता	1.265	1.265

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
1	2	3	4	5
4	धीसागिर पिता राजगिर हि. 1/3 भाग, पिंकीबाई पुत्री राजगिर हि. 1/3 भाग, बत्तूबाई बेवा राजगिर हि. 1/3 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	150	0.013	0.007
		कुल 1 किता	0.013	0.007
5	काशीपुरी पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग, गंगापुरी पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग, संतोषपुरी, पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग, सुवाबाई बेवा मदनपुरी हि. 1/4 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	148/1	0.201	0.060
		कुल 1 किता	0.201	0.060
6	काशीगिर पिता कानगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149	0.101	0.040
		22/10/1	0.443	0.300
		कुल 2 किता	0.544	0.340
7	हीरालाल पिता मोतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161	0.076	0.076
		कुल 1 किता	0.076	0.076
8	सुशीला गिर पत्नी मोतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/3/3	0.632	0.474
		कुल 1 किता	0.632	0.474
9	कल्लूपुरी पिता दौलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/1	1.080	0.108
		165	0.051	0.051
		कुल 2 किता	1.131	0.159
10	गिरराज गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/2	0.048	0.024
		कुल 1 किता	0.048	0.024
11	विष्णुपुरी पिता जगदीश पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/3	0.048	0.014
		कुल 1 किता	0.048	0.014
12	दौलतगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164	0.038	0.038
		166	0.152	0.030
		कुल 2 किता	0.190	0.068
13	जमात गिर पिता मोती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	191/2	0.506	0.455
		कुल 1 किता	0.506	0.455
14	मगूगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/10/3	0.221	0.166
		कुल 1 किता	0.221	0.166

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
15	नरबदागिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/10/2	0.221	0.166
		कुल 1 किता	<b>0.221</b>	<b>0.166</b>
16	भगूपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2/1	0.317	0.095
		कुल 1 किता	<b>0.317</b>	<b>0.095</b>
17	रतनपुरी पिता मुरलीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2/2	0.316	0.095
		कुल 1 किता	<b>0.316</b>	<b>0.095</b>
18	केलाश पुरी पिता दुर्गापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2/3	0.316	0.095
		35/2	0.841	0.504
		38	0.468	0.468
		कुल 3 किता	<b>1.625</b>	<b>1.067</b>
19	प्रेमपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2/4	0.158	0.047
		कुल 1 किता	<b>0.158</b>	<b>0.047</b>
20	छोटपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2/5	0.158	0.047
		कुल 1 किता	<b>0.158</b>	<b>0.047</b>
21	मिश्रीपुरी पिता मुरलीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	35/1	0.842	0.674
		कुल 1 किता	<b>0.842</b>	<b>0.674</b>
22	देशराज पुरी पिता कैलाशपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/1/1/1	0.542	0.542
		39/1/1/2	0.506	0.506
		कुल 2 किता	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
23	लखनगिर पिता मंगुगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/1/1/3	0.506	0.506
		कुल 1 किता	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
24	राधेशपुरी पिता कैलाशपुरी सर पिता कैलाशपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/1/2	0.250	0.250
		39/1/3	0.250	0.250
		39/1/4	0.250	0.250
		39/1/5	0.250	0.250
		कुल 4 किता	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25	राजूगिर पिता मंगुगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/2	0.544	0.109
		कुल 1 किता	<b>0.544</b>	<b>0.109</b>
26	हीरापुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	36/1	0.202	0.202
		36/2/1	1.417	0.425
		कुल 2 किता	<b>1.619</b>	<b>0.627</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
27	छगनपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	36/2/2	0.101	0.071
		36/3	1.518	1.214
		कुल 2 किता	1.619	1.285
28	गुलाबबाई बेवा रूगनाथपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	36/4	1.012	0.708
		22/7/1	0.253	0.053
		कुल 2 किता	1.265	0.761
29	लक्ष्मणसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग, चतरूसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग, रोडीबाई पुत्री हरिसिंह हि. 1/3 भाग, जाति लोधा पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/3	0.278	0.139
		22/11	1.972	0.592
		22/12	0.557	0.557
		305/22	0.874	0.874
		कुल 4 किता	3.681	2.162
30	खुशीलाल पिता परसराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/5	0.379	0.200
		20/3		
		323/22/1/2	0.106	0.106
		कुल 3 किता	0.485	0.306
31	सुन्दरगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/6/1	0.607	0.607
		कुल 1 किता	0.607	0.607
32	मोतीगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/6/2	0.304	0.304
		कुल 1 किता	0.304	0.304
33	अनिल गिर पिता चैनगिर हि. 1/2 भाग, चंदाबाई गिर बेवा चैनगिर हि. 1/2 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/6/3	0.303	0.303
		कुल 1 किता	0.303	0.303
34	देवगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/6/4	0.304	0.304
		कुल 1 किता	0.304	0.304
35	दिनेशगिर पिता नरबदागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/7/2	0.506	0.405
		कुल 1 किता	0.506	0.405
36	नाथूगिर पिता नारायणगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/1/1/1	0.253	0.190
		कुल 1 किता	0.253	0.190
37	गोकुल पिता रामगोपाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/1/1/2	0.253	0.190
		कुल 1 किता	0.253	0.190
38	मिश्रीलाल पिता खुशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/1/2	1.770	1.328
		कुल 1 किता	1.770	1.328

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
1	2	3	4	5
39	बसन्तीबाई पत्नी हरिसिंह गाडरी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/2	1.391	1.043
		कुल 1 किता	1.391	1.043
40	ममताबाई पत्नी खुशीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/3/1	0.126	0.095
		कुल 1 किता	0.126	0.095
41	कांतीबाई पत्नी फूलसिंह जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/3/2	0.126	0.095
		कुल 1 किता	0.126	0.095
42	रोडीबाई पति गोपीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/1/4	1.012	0.253
		कुल 1 किता	1.012	0.253
43	हरीसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/8/2	0.759	0.607
		कुल 1 किता	0.759	0.607
44	नारायणभारती पिता बंशी भारती जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/1/1	0.990	0.990
		कुल 1 किता	0.990	0.990
45	मगूगिर पिता शोजीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	195/33	0.759	0.607
		कुल 1 किता	0.759	0.607
46	सोरमबाई, कालीबाई, उमरावबाई पुत्री कालू छोटू, बुधराम पिता कालू जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	195/34	0.632	0.126
		कुल 1 किता	0.632	0.126
47	फूलसिंह पिता परसराम जाति लोदा पता निवासी ग्राम बगवाज तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	323/22/1/1	0.106	0.106
		कुल 1 किता	0.106	0.106
48	अनारसिंह, कैलाश, मथरालाल, मुकेश पिता नन्लाल स्वरूपीबाई बेवा नन्लाल जाति लोदा पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	323/22/1/3	0.105	0.105
		कुल 1 किता	0.105	0.105
49	शिवनारायण पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, धीरपसिंह पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, गजराज सिंह पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	323/22/2	0.695	0.695
		कुल 1 किता	0.695	0.695

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
50	सुन्दरलाल पिता कामताप्रसाद जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	325/22	1.619	1.214
		कुल 1 किता	1.619	1.214
51	ललताबाई बेवा उमरावभारती जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/13	4.047	4.047
		कुल 1 किता	4.047	4.047
52	खसरे में नाम अंकित नहीं है	163	0.114	0.080
		कुल 1 किता	0.114	0.080
	महायोग :-	कुल 68 किता	38.337	28.074

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-थांदला,  
जिला, झाबुआ मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-2871-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23

थांदला, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-उदयपुरिया, प.ह.न.-26, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-उदयपुरिया, प.ह.न.-26	944	0.004
			942	0.014
			847	0.028
			921/4	0.011
			921/3	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-उदयपुरिया, प.ह.न.-26	921/2	0.008
			850	0.033
			849	0.010
			738	0.003
			718	0.028
			719	0.020
			720	0.003
			722	0.065
			740	0.018
			727	0.034
			726/3	0.011
			726/2	0.012
			726/1	0.009
			628	0.035
			599/1	0.020
599/2	0.028			
<b>कुल योग</b>			<b>21</b>	<b>0.410</b>

पत्र क्र.-2876-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-03-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धामनी बड़ी, प.ह.नं.-39, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-धामनी बड़ी, प.ह.नं.-39	283	0.013
			284	0.018
			285	0.008
			271/1	0.035
			269/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-धामनी बड़ी, प.ह.नं.-39	265/7	0.005
			252	0.058
			253/7	0.023
			253/5	0.015
			253/2	0.013
			240/1	0.020
			253/6	0.019
			253/3	0.007
			240/3	0.052
			253/4	0.018
			321	0.026
			323	0.017
			330	0.075
			331	0.014
			231/1	0.005
			229/2	0.025
			230	0.068
			224	0.006
			229/3	0.019
229/1	0.019			
<b>कुल योग</b>			<b>25</b>	<b>0.583</b>

पत्र क्र.-2881-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-07-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 व 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमलिया, प.ह.न.-37, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-सेमलिया, प.ह.न.-37	365	0.033
			364/2	0.016
			362	0.014
			370/2	0.005
			370/1	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-सेमलिया, प.ह.न.-37	372/1	0.014
			372/2	0.015
			372/3	0.015
			372/4	0.014
			382	0.018
			383/2	0.008
			383/1	0.008
			384	0.025
			385	0.040
			279	0.010
			278/4	0.003
			278/3	0.010
			278/2	0.013
			278/1	0.010
			277	0.018
			276	0.004
			262	0.012
			249/4	0.004
			249/3	0.013
			248	0.010
			249/2	0.003
			249/1	0.019
			247	0.075
			239	0.043
			45/1	0.035
			144	0.048
			148	0.036
			149/3	0.031
			154/2	0.011
			155	0.034
			154/3	0.011
			154/1	0.011
158	0.006			
166/4	0.008			
166/3	0.008			
166/2	0.008			
166/1	0.008			
173/4	0.069			
168	0.055			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-सेमलिया, प.ह.न.-37	346/1	0.050
			346/2	0.005
			345/3	0.015
			345/2	0.070
			324	0.035
			304/1	0.038
			303	0.006
			325	0.030
			330	0.028
			326	0.013
			328/2	0.006
			328/1	0.023
			304/2	0.008
			36	0.019
			39/2	0.028
			39/1/1	0.018
			40/2/1	0.015
			34	0.035
			45/2	0.008
			46/1	0.020
			47	0.049
			21	0.004
			67	0.046
			66	0.010
			68	0.009
			79	0.018
			75	0.024
			73	0.008
76	0.007			
77	0.018			
92/1	0.016			
92/2	0.015			
2/2	0.020			
1	0.028			
<b>कुल योग</b>			<b>78</b>	<b>1.601</b>

पत्र क्र.-2886-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-01-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमल पाडा, प.ह.न.-36, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कर्मांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-सेमल पाडा, प.ह.न.-36	439	0.020
			440	0.025
			478/2	0.014
			478/1	0.024
			477	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-सेमल पाडा, प.ह.न.-36	483/2	0.038
			484/2	0.034
			484/1	0.042
			486	0.006
			487	0.038
			530/1	0.009
			528/3	0.008
			528/2	0.018
			528/1	0.016
			527	0.012
			515/2	0.014
			522/571/3	0.014
			515/3	0.030
			522/571/2	0.011
<b>कुल योग</b>			<b>19</b>	<b>0.401</b>

पत्र क्र.-2891-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 तथा डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धामनी छोटी, प.ह.न.-38, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम- धामनी छोटी, प.ह.न.-38	878	0.054
			875	0.034
			876/1	0.030
			876/2	0.030
			870/2	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम- धामनी छोटी, प.ह.न.-38	871/2	0.021
			781/3	0.021
			872/1	0.028
			778/1	0.019
			781/6	0.021
			790/2	0.004
			781/5	0.021
			781/4	0.021
			781/2	0.021
			781/1	0.021
			775/2	0.043
			774/1	0.026
			774/7	0.021
			773/3	0.032
			773/1/1/1	0.019
			773/2	0.014
			741/3/1/1/1/1/1	0.010
			709/3	0.058
			737	0.011
			736/3	0.024
			736/2	0.019
			734	0.021
			733	0.047
			510	0.004
			512	0.023
			513	0.040
			515	0.013
			486	0.056
			488	0.038
			490/1	0.025
490/2	0.015			
465	0.016			
463	0.010			
461	0.030			
466	0.040			
175	0.011			
179	0.060			
178	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम- धामनी छोटी, प.ह.न.-38	194	0.042
			195/2	0.026
			246/2	0.006
			246/1	0.005
			195/1	0.036
			245	0.013
			244	0.026
			228	0.020
			216	0.006
			38	0.050
			36/883	0.026
			35	0.013
			36/2	0.010
			33	0.034
कुल योग			57	1.418

पत्र क्र.-2896-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0015-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खोखर खादन, प.ह.न.-29, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-खोखर खादन, प.ह.न.-29	230	0.046
			207	0.053
			143	0.022
			146	0.036
			142	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-खोखर खादन, प.ह.न.-29	205	0.016
			210/4	0.008
			210/3	0.011
			210/2	0.013
			210/1	0.016
			202	0.043
			209/1	0.033
			197	0.029
			134	0.010
			141	0.010
			150	0.035
			<b>कुल योग</b>	

पत्र क्र.-2901-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धामंजर, प.ह.न.-47, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-धामंजर, प.ह.न.-47	176	0.020
कुल योग			<b>01</b>	<b>0.020</b>

पत्र क्र.-2906-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0016-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर तथा उसकी बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मियाटी, प.ह.न.-28, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-मियाटी, प.ह.न.-28	1183	0.038
			1193	0.013
			1192/3	0.005
			1192/2	0.005
			1192/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-मियाटी, प.ह.न.-28	1183/1	0.035
			372/2	
			1190	0.009
			1161	0.036
			1080	0.041
			1083	0.022
			1084	0.038
			1026	0.030
			1230	0.050
			1016	0.044
			1015	0.007
			1014	0.017
			1123	0.024
			1122	0.063
			1121/1	0.007
			1121/2	0.007
			1121/3	0.008
			1121/4	0.008
			1121/5	0.007
			1121/6	0.007
1118	0.103			
1113	0.009			
1233/2	0.103			
1235	0.016			
745/2	0.053			
<b>कुल योग</b>			<b>29</b>	<b>0.810</b>

पत्र क्र.-2911-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0017-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर तथा उसकी दौंयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-1 व बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-8 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बीड़महुडीपाडा, प.ह.न.-30, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-बीड़महुडीपाडा, प.ह.न.-30	428	0.039
			426	0.015
			134/1	0.004
			138/3	0.035
			138/2	0.040

// - //

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-बीड़महुडीपाडा, प.ह.न.-30	112	0.029
			110	0.007
			108	0.011
			115	0.061
			105/1	0.043
			116	0.058
			491	0.039
			532	0.075
			99	0.064
			47/2	0.038
			44/3	0.005
			44/2	0.016
			44/1	0.018
			12	0.015
			6	0.024
			533	0.032
			492	0.008
			529	0.009
			528	0.017
			530	0.035
526	0.013			
519	0.018			
377	0.018			
518	0.027			
376/2	0.019			
<b>कुल योग</b>			<b>30</b>	<b>0.832</b>

पत्र क्र.-2916-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा काली रुण्डी, प.ह.न.-36, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-नवापाड़ा काली रुण्डी, प.ह.न.-36	192	0.062
			182	0.014
			180	0.016
			47/4	0.091
			48	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-नवापाड़ा काली रुण्डी, प.ह.न.-36	41/1	0.008
			39	0.006
			36	0.014
			154	0.021
			32/2	0.042
			4	0.017
			3	0.024
			2/2	0.008
			211/2	0.018
			2/1	0.026
			211/1	0.016
			181/3	0.006
			181/2	0.006
			181/1	0.006
			179/1	0.030
			179/2	0.025
			176/1	0.019
			178/3	0.002
			178/2	0.015
			178/1	0.014
			169/1	0.033
			177	0.040
			167	0.029
165	0.022			
212	0.037			
162	0.039			
161	0.004			
155	0.040			
<b>कुल योग</b>			<b>33</b>	<b>0.788</b>

पत्र क्र.-2921-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर तथा आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-8 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खजूरी, प.ह.न.-30, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-खजूरी, प.ह.न.-30	310	0.029
			309	0.087
			308	0.041
			304	0.004
			305	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-खजूरी, प.ह.न.-30	306	0.023
			335	0.047
			334	0.038
			269	0.083
			268/1	0.003
			155	0.010
			169	0.038
			154/2	0.004
			147	0.026
			177/2	0.028
			154/1	0.058
			170	0.003
			149	0.070
			148	0.037
			176	0.004
			177/1	0.030
			179	0.021
			181	0.004
			137	0.028
			139	0.018
			129	0.040
			152	0.100
			150	0.016
			143	0.006
			350	0.030
			352/509	0.030
			358	0.016
357	0.014			
368	0.030			
369/2	0.033			
370/1	0.019			
370/2	0.019			
372	0.004			
373	0.023			
<b>कुल योग</b>			<b>39</b>	<b>1.142</b>

पत्र क्र.-2926-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-4 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सुजापुरा, प.ह.न.-42, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम- सुजापुरा, प.ह.न.-42	344	0.028
			355/2	0.070
			357/5	0.008
			355/1	0.026
			357/4	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम— सुजापुरा, प.ह.न.—42	357/3	0.034
			357/1	0.008
			356	0.030
			386	0.040
			415	0.033
			388	0.036
			401	0.064
			396/4	0.010
			396/3	0.010
			396/1	0.010
			395	0.029
			257	0.014
			264	0.048
			267	0.007
			266	0.015
			59	0.028
			60/2	0.014
			60/3	0.012
			60/1	0.010
			61	0.042
			400/1	0.020
			400/2	0.071
			417/1	0.006
417/2	0.094			
426	0.033			
<b>कुल योग</b>			<b>30</b>	<b>0.872</b>

पत्र क्र.-2931-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भीमकुंड, प.ह.नं.-40, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-भीमकुंड, प.ह.नं.-40	476/5	0.029
			435	0.009
			476/4	0.019
			476/3	0.011
			476/2	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-भीमकुंड, प.ह.नं.-40	467	0.006
			466/18	0.005
			466/7	0.003
			466/19	0.006
			466/6	0.005
			461/2	0.015
			466/20	0.005
			466/5	0.005
			466/4	0.005
			466/3	0.005
			466/2	0.005
			466/1	0.005
			461/1	0.008
			455	0.028
			436/8	0.029
			429/4	0.056
			431	0.006
			384	0.035
			382	0.005
			381	0.005
380	0.043			
326	0.035			
329/2	0.011			
329/1	0.014			
कुल योग			29	0.456

पत्र क्र.-2936-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टिमरवानी, प.ह.न.-27, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-टिमरवानी, प.ह.न.-27	528	0.034
			529/1	0.038
			533	0.013
<b>कुल योग</b>			<b>03</b>	<b>0.085</b>

पत्र क्र.-2941-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोरड़ी, प.ह.न.-44, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-बोरड़ी, प.ह.न.-44	140/2	0.024
			139/3	0.059
			139/2	0.025
कुल योग			03	0.108

पत्र क्र.-2946-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कलदेला, प.ह.न.-46, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-कलदेला, प.ह.न.-46,	248	0.031
			246/3	0.017
			249	0.024
			252/3	0.014
			252/2	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-कलदेला, प.ह.न.-46	251	0.035
			156	0.038
			157	0.029
			8	0.031
			158	0.038
			159	0.010
			153/3	0.028
			144/4	0.028
			145	0.014
			146/1	0.028
			140	0.026
			139	0.024
			128	0.031
			129	0.014
			127/1	0.025
			10	0.036
			11	0.022
17	0.024			
<b>कुल योग</b>			<b>23</b>	<b>0.570</b>

पत्र क्र.-2952-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मानपुर, प.ह.न.-24, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	थांदला	ग्राम-मानपुर, प.ह.न.-24	574	0.010
			572	0.073
			571/658	0.046
			570	0.006
			361	0.029
झाबुआ	थांदला	ग्राम-मानपुर, प.ह.न.-24	360	0.011
			348	0.016
			346	0.028
कुल योग			08	0.219

अनिल भाना, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग

क्र.-11-अ-82-भू-अर्जन-22-23-39

सागर, दिनांक 2 जनवरी 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
  2. तहसील राहतगढ़
  3. ग्राम चंदनहारी
  4. पटवारी हल्का नं. 23
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 40.455 हे.

:: अनुसूची -01::

स. क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दीपक भूपेन्द्र बल्द वलवानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	0.360	0.360	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 1, छेवला 1, सेमर 1
			2/2	0.170	0.170	0.000	0.000	
			2/4	0.040	0.040	0.000	0.000	
2	बलवानसींग पहलवानसिंह वल्द महपातसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.330	0.330	0.000	0.000	
			6/1	0.050	0.000	0.050	0.000	
			35	0.160	0.160	0.000	0.000	
			87	0.040	0.000	0.040	0.000	
			89	1.160	1.160	0.000	0.000	छेवला 1, बमूरा 1
3	रघुराजसींग वल्द पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	1.210	1.210	0.000	0.000	छेवला 1
4	पंचमसींग पिता बड़ेवीर रघुराज मुन्ना मंगल दशरथ दुर्गेश अशोक वैजन्तीबाई पिस. पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.070	0.070	0.000	0.000	सेमर 1, कोहा 2, छेवला 2
			4/2	0.180	0.000	0.180	0.000	
			5	0.110	0.110	0.000	0.000	
			6/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
			18	0.180	0.180	0.000	0.000	कोहा 2, उमर 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मनमोहन लोधी पिता श्यामलाल पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	0.490	0.490	0.000	0.000	बेरी 2, छेवला 1, बमूरा 2
			81	0.030	0.000	0.030	0.000	
			84	1.730	1.730	0.000	0.000	बेरी 1, बमूरा 2
6	रामकली साहू बेवा छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी गूड्डी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.130	0.130	0.000	0.000	बमूरा 1
			83	0.120	0.120	0.000	0.000	
7	खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	0.100	0.100	0.000	0.000	
			26	0.170	0.170	0.000	0.000	
			82	0.140	0.140	0.000	0.000	
			157	0.080	0.080	0.000	0.000	बेरी 2, छेवला 2, बमूरा 2
8	नेत्रपालसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता राहतगढ सागर म. प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.160	0.160	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 3
			19	0.180	0.180	0.000	0.000	
			22	0.180	0.180	0.000	0.000	
			24	0.050	0.050	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 2, छेवला 1
			36	0.590	0.590	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 2, छेवला 2
			37	0.080	0.080	0.000	0.000	
			39	0.300	0.300	0.000	0.000	बेरी 1, बमूरा 2
			68	0.550	0.550	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 2, बमूरा 2
			69	0.490	0.490	0.000	0.000	बेरी 1, बमूरा 2, सेमर 1
			67	0.080	0.080	0.000	0.000	
			73	0.100	0.100	0.000	0.000	बमूरा 1
			80	0.040	0.040	0.000	0.000	
159	0.040	0.040	0.000	0.000				
160	0.030	0.000	0.030	0.000	कोहा 2, उमर 1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	अमरसिंह पिता रागशरणसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.060	0.060	0.000	0.000	
			32	0.630	0.630	0.000	0.000	बेरी 3, छेवला 1, बमूरा 2, कोहा 1
			33	0.020	0.020	0.000	0.000	
			34	0.250	0.250	0.000	0.000	बेरी 3, बमूरा 3, छेवला 2, कोहा 1
10	दरयावसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.190	0.190	0.000	0.000	बमूरा 2
			25	0.810	0.810	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 8
			27	0.070	0.070	0.000	0.000	बमूरा 2
			158	0.070	0.070	0.000	0.000	
11	शालिग्राम बल्द खेमचन्द पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.330	0.330	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 2, छेवला 1
			29	0.280	0.280	0.000	0.000	पबका कुआ 1 बेरी 2, बमूरा 3
			30	0.310	0.310	0.000	0.000	
12	आदित्यसिंह पिता मुकेशसिंह जाति सिंह पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.530	0.530	0.000	0.000	बेरी 5, छेवला 4, बमूरा 1
			43/2	1.090	1.090	0.000	0.000	बेरी 3, छेवला 1
			56-	0.910	0.300	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 2
			57	0.080	0.080	0.000	0.000	बेरी 1, बमूरा 1
			58	0.570	0.570	0.000	0.000	
			59	0.020	0.020	0.000	0.000	
			55	0.070	0.030	0.000	0.000	
13	शिवराजसिंह पिता गजराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.170	0.170	0.000	0.000	बेरी 3, बमूरा 2
			40/2	0.240	0.240	0.000	0.000	बेरी 1, सेमर सूखी 1, बमूरा 1
			54	0.080	0.035	0.000	0.000	
			61	0.080	0.080	0.000	0.000	
			62	0.050	0.020	0.000	0.000	
			70	0.030	0.000	0.030	0.000	बमूरा 2
			71	0.610	0.610	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 1
			72	0.330	0.330	0.000	0.000	बेरी 1, छेवला 1
			74	0.050	0.050	0.000	0.000	
			64	0.040	0.040	0.000	0.000	
			76	0.030	0.030	0.000	0.000	
			161	0.040	0.040	0.000	0.000	
			162	0.580	0.580	0.000	0.000	
75/2	3.550	2.790	0.000	0.000	बेरी 1, छेवला 2, बमूरा 1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	योगेन्द्र पिता बाबूसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	0.110	0.110	0.000	0.000	बेरी 2, छेवला 2, बमूरा 1
			79	1.320	1.320	0.000	0.000	बेरी 1, छेवला 2, बमूरा 1
15	जितेन्द्रसिंह पिता बाबूसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/1	1.050	1.050	0.000	0.000	बेरी 1, सेमर 1, बमूरा 1
			41	0.020	0.020	0.000	0.000	
			42	0.020	0.000	0.020	0.000	
			46	0.860	0.610	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 2, बमूरा 3
16	राजेन्द्रसिंह पिता रामशरणसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	43/1	0.080	0.080	0.000	0.000	बेरी 3, छेवला 2, महुआ 1, बमूरा 1
			44	0.050	0.050	0.000	0.000	
			45	1.310	0.600	0.000	0.000	बेरी 2, छेवला 1, बमूरा 1
17	अनुजसिंह पिता नेत्रपालसिंह जाति राजपूत पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	60	0.070	0.070	0.000	0.000	
			63	0.080	0.080	0.000	0.000	
			65	0.030	0.030	0.000	0.000	
			66	0.740	0.740	0.000	0.000	बेरी 2, बमूरा 2
18	वैनीयाई बेवा शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/1	1.370	1.300	0.000	0.000	
19	सीताराम यादव पुत्र शिवप्रसाद पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/2/ 1	0.750	0.630	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	संजय यादव पुत्र सीताराम पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92/1/2/ 2	0.420	0.300	0.000	0.000	
21	सुरेश पुत्र शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/3/ 1	0.570	0.000	0.570	0.000	
22	अनिल नाबालिग पुत्र सुरेश संरक्षक सुरेश पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/3/ 2	0.600	0.000	0.555	0.000	
23	माखन तखत प्रकाश महेश पिता रामशंकर केराबाई बेवा रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	3.720	3.720	0.000	0.000	
24	प्रेमनारायण यादव पुत्र शैवप्रसाद पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92/3/1	0.760	0.635	0.000	0.000	
25	विक्रम यादव पुत्र प्रेमनारायण पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3/2	0.440	0.370	0.000	0.000	
26	तखतसींग बल्द रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/4	1.200	1.200	0.000	0.000	
27	लक्ष्मनसींग बल्द नारायण सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1	0.580	0.200	0.000	0.000	
			95/4	0.980	0.045	0.000	0.000	कच्चा कुआ 1 बेरी 3, बमूरा 3, महुआ 1, छेवला 2
28	धूमनसींग पिता नारायणसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/2	0.180	0.180	0.000	0.000	
29	कपिल बल्द ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/5	0.800	0.800	0.000	0.000	बमूरा 1
30	हनमत सिंह पिता लछमन सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/6	0.400	0.400	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	मौजीलाल पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी शिवनारायण पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी नब्बीबाई पुत्री पूरन पता पठारी विदिशा म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी मोती पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी केशरबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी कोमल पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी हीराबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	1.890	0.770	0.000	0.000	बेरी 1, बमूरा 2
32	महेन्द्र पिता मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2+1 09/4	1.390	0.030	0.000	0.000	
33	वालकिशन बल्द मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/3	1.380	0.030	0.000	0.000	
34	कुलदीप वल्द अमरसींग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163	1.190	1.190	0.000	0.000	बेरी 3, बमूरा 4, सेमर 1, कोहा 2
			166/1	0.590	0.590	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 1, बमूरा 1
35	विशाखा पत्नि अमरसींग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	0.290	0.290	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 3, छेवला 2, बमूरा 2, कोहा 1
			166/2	0.200	0.200	0.000	0.000	
36	शिवपालसिंह वल्द दरयावसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	4.860	0.625	0.000	0.000	पक्का कुआ 1 बेरी 3, बमूरा 4, कोहा 2
37	नरेन्द्र पिता बाबूसींग पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.960	0.100	0.000	0.000	
38	बाबूलाल पिता मिदू पता मानकी सलैया राहतगढ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	0.250	0.250	0.000	0.000	
			400	0.050	0.050	0.000	0.000	
	बोग :-		107	53.690	38.910	1.545	0.000	

## भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

क्र. सं.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकबा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकबा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के दूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

## (अ) दूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(न) परियोजना के दूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितवद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/01/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:-  
 (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील- पन्ना  
 (ग) ग्राम - महदरा  
 (घ) क्षेत्रफल- 187.87 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2/1	0.260	निजी भूमि
2	24/1	0.260	निजी भूमि
3	445/1	0.290	निजी भूमि
4	454/2	0.290	निजी भूमि
5	2/2	0.260	निजी भूमि
6	24/2	0.260	निजी भूमि
7	445/2	0.290	निजी भूमि
8	2/3	0.260	निजी भूमि
9	24/3	0.260	निजी भूमि
10	445/3	0.170	निजी भूमि
11	454/1	0.130	निजी भूमि
12	2/4	0.270	निजी भूमि
13	24/4	0.250	निजी भूमि
14	245/1	0.140	निजी भूमि

15	246	0.450	निजी भूमि
16	3/1	0.690	निजी भूमि
17	376	0.370	निजी भूमि
18	245/2	0.140	निजी भूमि
19	3/2	0.690	निजी भूमि
20	301/1	0.500	निजी भूमि
21	488	0.800	निजी भूमि
22	245/3	0.150	निजी भूमि
23	3/3	0.710	निजी भूमि
24	301/2	0.510	निजी भूमि
25	103	0.150	निजी भूमि
26	251	0.360	निजी भूमि
27	253	0.130	निजी भूमि
28	255	0.280	निजी भूमि
29	258	0.180	निजी भूमि
30	4	1.500	निजी भूमि
31	153	0.120	निजी भूमि
32	6	1.890	निजी भूमि
33	7	2.000	निजी भूमि
34	8	2.060	निजी भूमि
35	9	1.680	निजी भूमि
36	11	0.800	निजी भूमि
37	423	1.060	निजी भूमि
38	12	1.020	निजी भूमि
39	15/1	0.710	निजी भूमि
40	273	0.860	निजी भूमि
41	446	0.930	निजी भूमि

42	15/2	0.630	निजी भूमि
43	149	0.110	निजी भूमि
44	16	2.120	निजी भूमि
45	19	0.200	निजी भूमि
46	20	0.510	निजी भूमि
47	21	0.240	निजी भूमि
48	40	1.290	निजी भूमि
49	443	0.230	निजी भूमि
50	80/1	0.300	निजी भूमि
51	22	0.510	निजी भूमि
52	34	0.700	निजी भूमि
53	77	0.350	निजी भूमि
54	26	1.700	निजी भूमि
55	28	1.860	निजी भूमि
56	27	0.740	निजी भूमि
57	191	0.800	निजी भूमि
58	41	1.630	निजी भूमि
59	178	0.260	निजी भूमि
60	29	1.420	निजी भूमि
61	214	0.060	निजी भूमि
62	254	0.140	निजी भूमि
63	30	0.380	निजी भूमि
64	302	1.450	निजी भूमि
65	303	0.080	निजी भूमि
66	104	0.090	निजी भूमि
67	148	0.060	निजी भूमि
68	259	0.140	निजी भूमि

69	260	0.210	निजी भूमि
70	32	0.390	निजी भूमि
71	44/3/4	0.590	निजी भूमि
72	36	0.750	निजी भूमि
73	37	0.310	निजी भूमि
74	482	1.240	निजी भूमि
75	39	1.100	निजी भूमि
76	42	1.500	निजी भूमि
77	43	1.120	निजी भूमि
78	44/1	0.500	निजी भूमि
79	44/2	0.500	निजी भूमि
80	44/3/1	0.400	निजी भूमि
81	44/3/2	0.500	निजी भूमि
82	252	0.230	निजी भूमि
83	44/3/3	1.000	निजी भूमि
84	190	0.350	निजी भूमि
85	48	0.170	निजी भूमि
86	49	1.360	निजी भूमि
87	94	0.480	निजी भूमि
88	54/1	0.590	निजी भूमि
89	54/2	0.590	निजी भूमि
90	54/3	0.590	निजी भूमि
91	54/4	0.410	निजी भूमि
92	55/1	0.180	निजी भूमि
93	55/2	0.580	निजी भूमि
94	189	0.140	निजी भूमि
95	56	0.750	निजी भूमि

96	62	0.800	निजी भूमि
97	65	0.400	निजी भूमि
98	60	1.120	निजी भूमि
99	207	0.150	निजी भूमि
100	63	1.200	निजी भूमि
101	272	0.900	निजी भूमि
102	305	0.360	निजी भूमि
103	306	0.390	निजी भूमि
104	67	0.400	निजी भूमि
105	68	0.730	निजी भूमि
106	80/2	0.170	निजी भूमि
107	69	0.280	निजी भूमि
108	70	1.590	निजी भूमि
109	72/1	0.130	निजी भूमि
110	208	0.130	निजी भूमि
111	219/1	0.100	निजी भूमि
112	72/2	0.820	निजी भूमि
113	86	0.570	निजी भूमि
114	89	0.340	निजी भूमि
115	233	0.720	निजी भूमि
116	234	0.430	निजी भूमि
117	235	0.260	निजी भूमि
118	73	0.490	निजी भूमि
119	74	1.010	निजी भूमि
120	238	0.720	निजी भूमि
121	240	0.500	निजी भूमि
122	241	0.400	निजी भूमि

123	481	0.950	निजी भूमि
124	76	0.300	निजी भूमि
125	219/2	0.060	निजी भूमि
126	78	1.020	निजी भूमि
127	79	0.610	निजी भूमि
128	91	0.300	निजी भूमि
129	82	0.500	निजी भूमि
130	219/3	0.040	निजी भूमि
131	83	0.760	निजी भूमि
132	84	0.710	निजी भूमि
133	90	0.490	निजी भूमि
134	87	0.040	निजी भूमि
135	88	0.150	निजी भूमि
136	151	0.160	निजी भूमि
137	92	0.430	निजी भूमि
138	265	0.430	निजी भूमि
139	93	0.260	निजी भूमि
140	106	0.320	निजी भूमि
141	119	0.180	निजी भूमि
142	143	0.190	निजी भूमि
143	231	0.580	निजी भूमि
144	377	0.840	निजी भूमि
145	95	0.530	निजी भूमि
146	99	0.250	निजी भूमि
147	101	0.240	निजी भूमि
148	102	0.020	निजी भूमि
149	202	0.130	निजी भूमि

150	203	0.120	निजी भूमि
151	451	0.800	निजी भूमि
152	96.	0.280	निजी भूमि
153	226	0.180	निजी भूमि
154	392	1.080	निजी भूमि
155	97	0.530	निजी भूमि
156	123	0.210	निजी भूमि
157	308	0.400	निजी भूमि
158	98	0.290	निजी भूमि
159	124	0.090	निजी भूमि
160	380	1.890	निजी भूमि
161	389	0.340	निजी भूमि
162	100	0.670	निजी भूमि
163	105	0.210	निजी भूमि
164	118	1.230	निजी भूमि
165	138	0.160	निजी भूमि
166	140	0.090	निजी भूमि
167	113/1	0.260	निजी भूमि
168	172	0.170	निजी भूमि
169	318/4	0.130	निजी भूमि
170	388	0.860	निजी भूमि
171	113/2	0.210	निजी भूमि
172	318/2	0.400	निजी भूमि
173	384/2	0.460	निजी भूमि
174	114	0.470	निजी भूमि
175	287	0.320	निजी भूमि
176	120	0.090	निजी भूमि

177	137	0.110	निजी भूमि
178	155	0.060	निजी भूमि
179	128	0.120	निजी भूमि
180	129	0.070	निजी भूमि
181	166	0.060	निजी भूमि
182	130	0.050	निजी भूमि
183	329	1.030	निजी भूमि
184	131	0.080	निजी भूमि
185	132	0.070	निजी भूमि
186	133	0.130	निजी भूमि
187	135	0.060	निजी भूमि
188	249	0.800	निजी भूमि
189	250	0.170	निजी भूमि
190	261	0.070	निजी भूमि
191	139	0.120	निजी भूमि
192	341/1	0.380	निजी भूमि
193	381/2	0.390	निजी भूमि
194	387/1	0.540	निजी भूमि
195	142	0.070	निजी भूमि
196	285	0.050	निजी भूमि
197	382/2	0.430	निजी भूमि
198	395/2	0.550	निजी भूमि
199	145	0.050	निजी भूमि
200	146	0.110	निजी भूमि
201	201	0.630	निजी भूमि
202	209	0.570	निजी भूमि
203	210	0.030	निजी भूमि

204	147	0.090	निजी भूमि
205	150	0.240	निजी भूमि
206	286/1	0.450	निजी भूमि
207	358/3	0.370	निजी भूमि
208	152	0.080	निजी भूमि
209	156	0.100	निजी भूमि
210	161	0.090	निजी भूमि
211	162	0.100	निजी भूमि
212	163	0.160	निजी भूमि
213	173	0.170	निजी भूमि
214	174	0.060	निजी भूमि
215	165	0.080	निजी भूमि
216	167	0.080	निजी भूमि
217	170	0.130	निजी भूमि
218	181	0.180	निजी भूमि
219	177/1	0.038	निजी भूमि
220	198/1	0.018	निजी भूमि
221	199/1	0.080	निजी भूमि
222	264/1	0.026	निजी भूमि
223	269/1	0.066	निजी भूमि
224	177/2	0.038	निजी भूमि
225	198/2	0.018	निजी भूमि
226	199/2	0.080	निजी भूमि
227	264/2	0.026	निजी भूमि
228	269/2	0.066	निजी भूमि
229	177/3	0.038	निजी भूमि
230	198/3	0.018	निजी भूमि

231	199/3	0.080	निजी भूमि
232	264/3	0.026	निजी भूमि
233	269/3	0.066	निजी भूमि
234	177/4	0.038	निजी भूमि
235	198/4	0.018	निजी भूमि
236	199/4	0.080	निजी भूमि
237	264/4	0.026	निजी भूमि
238	269/4	0.066	निजी भूमि
239	177/5	0.038	निजी भूमि
240	198/5	0.018	निजी भूमि
241	199/5	0.080	निजी भूमि
242	264/5	0.026	निजी भूमि
243	269/5	0.066	निजी भूमि
244	180	0.120	निजी भूमि
245	184	0.070	निजी भूमि
246	186	0.140	निजी भूमि
247	192	0.570	निजी भूमि
248	200	0.230	निजी भूमि
249	205	0.170	निजी भूमि
250	206	0.060	निजी भूमि
251	211	0.130	निजी भूमि
252	212	0.130	निजी भूमि
253	213	0.100	निजी भूमि
254	223	0.170	निजी भूमि
255	466	0.670	निजी भूमि
256	216	0.070	निजी भूमि
257	217	0.090	निजी भूमि

258	218	0.150	निजी भूमि
259	331	0.910	निजी भूमि
260	370	0.100	निजी भूमि
261	490	0.320	निजी भूमि
262	224	0.070	निजी भूमि
263	225	0.090	निजी भूमि
264	247	0.280	निजी भूमि
265	398/2	0.800	निजी भूमि
266	262	0.430	निजी भूमि
267	263	0.070	निजी भूमि
268	309	0.950	निजी भूमि
269	366	1.500	निजी भूमि
270	270	0.840	निजी भूमि
271	275/2	1.210	निजी भूमि
272	280	0.810	निजी भूमि
273	281	0.990	निजी भूमि
274	282	0.400	निजी भूमि
275	283	0.850	निजी भूमि
276	286/2	0.450	निजी भूमि
277	358/5	0.360	निजी भूमि
278	288	0.190	निजी भूमि
279	289	0.380	निजी भूमि
280	290	0.890	निजी भूमि
281	293	0.080	निजी भूमि
282	311	0.420	निजी भूमि
283	291	0.430	निजी भूमि
284	359	0.350	निजी भूमि

285	381/1	0.260	निजी भूमि
286	292	0.160	निजी भूमि
287	299	0.900	निजी भूमि
288	447	0.500	निजी भूमि
289	489	0.440	निजी भूमि
290	295	0.930	निजी भूमि
291	296	1.080	निजी भूमि
292	297	0.030	निजी भूमि
293	304/1	0.340	निजी भूमि
295	393	0.160	निजी भूमि
297	400	1.060	निजी भूमि
298	307	1.010	निजी भूमि
299	448	0.490	निजी भूमि
300	486	0.760	निजी भूमि
301	314	0.250	निजी भूमि
302	318/1	0.410	निजी भूमि
303	343/1	0.380	निजी भूमि
304	384/1	0.450	निजी भूमि
305	318/3	0.860	निजी भूमि
306	343/2	0.380	निजी भूमि
307	337	0.180	निजी भूमि
308	358/1	0.370	निजी भूमि
309	341/2	0.370	निजी भूमि
310	381/3	0.400	निजी भूमि
311	387/2	0.540	निजी भूमि
312	344	0.650	निजी भूमि
313	396	0.570	निजी भूमि

314	399	0.530	निजी भूमि
315	346	0.880	निजी भूमि
316	401/1	1.240	निजी भूमि
317	449	0.500	निजी भूमि
318	349/1	0.130	निजी भूमि
319	349/2	0.300	निजी भूमि
320	354	0.700	निजी भूमि
321	349/3	0.130	निजी भूमि
322	350/2/1	0.666	निजी भूमि
323	350/2/2	0.667	निजी भूमि
324	350/2/3	0.667	निजी भूमि
325	352	0.950	निजी भूमि
326	355	0.110	निजी भूमि
327	397	0.910	निजी भूमि
328	356	0.180	निजी भूमि
329	442	1.120	निजी भूमि
330	358/2	0.370	निजी भूमि
331	386/1	0.470	निजी भूमि
332	358/4	0.370	निजी भूमि
333	386/2	0.480	निजी भूमि
334	361	0.540	निजी भूमि
335	304/2	0.330	निजी भूमि
336	362	0.450	निजी भूमि
337	375	0.480	निजी भूमि
338	379	0.550	निजी भूमि
339	369	1.750	निजी भूमि
340	372	0.370	निजी भूमि

341	382/1	0.440	निजी भूमि
342	395/1	0.550	निजी भूमि
343	385/1/1	0.130	निजी भूमि
344	385/1/2	0.120	निजी भूमि
345	385/2	0.250	निजी भूमि
346	394/2	0.4167	निजी भूमि
347	398/1	1.000	निजी भूमि
348	394/1	0.083	निजी भूमि
349	401/2	1.240	निजी भूमि
350	493	0.770	निजी भूमि
351	430	0.810	निजी भूमि
352	432	0.420	निजी भूमि
353	441	0.710	निजी भूमि
354	440	1.380	निजी भूमि
355	452	2.020	निजी भूमि
356	453	1.230	निजी भूमि
357	455	1.500	निजी भूमि
358	458	1.750	निजी भूमि
359	459	2.000	निजी भूमि
360	464	1.160	निजी भूमि
361	465	1.190	निजी भूमि
362	467	1.210	निजी भूमि
363	468	2.000	निजी भूमि
364	469	1.210	निजी भूमि
365	470	2.000	निजी भूमि
366	471	1.210	निजी भूमि
367	472	1.270	निजी भूमि
368	477	1.210	निजी भूमि
369	483	1.220	निजी भूमि
370	485	1.220	निजी भूमि
371	491	1.250	निजी भूमि
372	492	1.570	निजी भूमि
	योग	187.87	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौघन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम गहदरा तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील- पन्ना  
 (ग) ग्राम - कोनी  
 (घ) क्षेत्रफल- 58.50 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	186/1	0.3	निजी भूमि
2	5/1	0.44	निजी भूमि
3	186/2	0.29	निजी भूमि
4	5/2	0.45	निजी भूमि
5	150/2	0.43	निजी भूमि
6	5/3	0.31	निजी भूमि
7	101	0.25	निजी भूमि
8	11/1	0.72	निजी भूमि
9	146	0.43	निजी भूमि
10	26	0.98	निजी भूमि
11	102/1	0.21	निजी भूमि
12	11/2	0.73	निजी भूमि
13	12	0.13	निजी भूमि
14	147	0.14	निजी भूमि

15	19	0.97	निजी भूमि
16	87	0.14	निजी भूमि
17	102/2	0.14	निजी भूमि
18	11/4	0.73	निजी भूमि
19	182	0.48	निजी भूमि
20	31	1.00	निजी भूमि
21	100	0.40	निजी भूमि
22	11/3	0.73	निजी भूमि
23	153	0.37	निजी भूमि
24	108	0.29	निजी भूमि
25	14	0.27	निजी भूमि
26	141	0.02	निजी भूमि
27	142	0.05	निजी भूमि
28	143	0.45	निजी भूमि
29	159	0.24	निजी भूमि
30	160	0.12	निजी भूमि
31	109	1.05	निजी भूमि
32	156	0.32	निजी भूमि
33	16	0.30	निजी भूमि
34	165	0.19	निजी भूमि
35	41	0.40	निजी भूमि
36	85	0.14	निजी भूमि
37	18/1	0.51	निजी भूमि
38	18/2	0.38	निजी भूमि
39	18/3	0.33	निजी भूमि
40	20	1.38	निजी भूमि
41	22	0.62	निजी भूमि

42	21/1	0.8	निजी भूमि
43	21/2	0.8	निजी भूमि
44	24	0.43	निजी भूमि
45	29	1.57	निजी भूमि
46	28/1	0.67	निजी भूमि
47	28/2	0.57	निजी भूमि
48	30/2	0.09	निजी भूमि
49	30/1	0.66	निजी भूमि
50	168	0.47	निजी भूमि
51	175	0.1	निजी भूमि
52	176	0.07	निजी भूमि
53	33	1.49	निजी भूमि
54	38	1.5	निजी भूमि
55	39	1.5	निजी भूमि
56	98/2	0.54	निजी भूमि
57	162	0.11	निजी भूमि
58	163	0.04	निजी भूमि
59	45	2.00	निजी भूमि
60	52	0.6	निजी भूमि
61	53	0.9	निजी भूमि
62	88	0.44	निजी भूमि
63	98/1	0.25	निजी भूमि
64	145	0.35	निजी भूमि
65	179	0.15	निजी भूमि
66	180	0.07	निजी भूमि
67	54	2.00	निजी भूमि
68	86	0.10	निजी भूमि

69	56	2.34	निजी भूमि
70	74	0.08	निजी भूमि
71	77	0.23	निजी भूमि
72	82	0.44	निजी भूमि
73	90	0.35	निजी भूमि
74	166	0.17	निजी भूमि
75	71/1	0.62	निजी भूमि
76	71/2	0.24	निजी भूमि
77	91/1	0.40	निजी भूमि
78	71/3	0.24	निजी भूमि
79	91/2	0.43	निजी भूमि
80	173	0.03	निजी भूमि
81	177	0.06	निजी भूमि
82	71/4	0.61	निजी भूमि
83	115	1.04	निजी भूमि
84	193	0.34	निजी भूमि
85	72	0.24	निजी भूमि
86	113	0.56	निजी भूमि
87	114	0.33	निजी भूमि
88	116	0.11	निजी भूमि
89	194	0.11	निजी भूमि
90	195	0.29	निजी भूमि
91	196	0.17	निजी भूमि
92	73	0.13	निजी भूमि
93	76	0.34	निजी भूमि
94	103	0.31	निजी भूमि
95	79	0.50	निजी भूमि

96	80	0.37	निजी भूमि
97	89/1	0.63	निजी भूमि
98	89/2	0.58	निजी भूमि
99	89/3	0.59	निजी भूमि
100	91/3	0.03	निजी भूमि
101	93	0.63	निजी भूमि
102	96/1	0.63	निजी भूमि
103	96/2	0.63	निजी भूमि
104	96/3	0.62	निजी भूमि
105	104	0.38	निजी भूमि
106	144	0.42	निजी भूमि
107	105	1.05	निजी भूमि
108	106	0.62	निजी भूमि
109	151	0.40	निजी भूमि
110	161	0.33	निजी भूमि
111	107	0.73	निजी भूमि
112	172	0.03	निजी भूमि
113	197	0.53	निजी भूमि
114	148	0.18	निजी भूमि
115	149	0.16	निजी भूमि
116	155/2	0.16	निजी भूमि
117	183	0.09	निजी भूमि
118	150/1	0.57	निजी भूमि
119	155/1	0.17	निजी भूमि
120	167	0.01	निजी भूमि
121	169	0.5	निजी भूमि
122	170	0.04	निजी भूमि
123	174	0.04	निजी भूमि
124	184	0.57	निजी भूमि
	योग	58.50	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दोधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कोनी तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील - पन्ना  
 (ग) ग्राम - मझौली  
 (घ) क्षेत्रफल - 30.44 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2/1	0.49	निजी भूमि
2	44	0.76	निजी भूमि
3	2/2	1.01	निजी भूमि
4	42	0.44	निजी भूमि
5	3	1.50	निजी भूमि
6	25	0.09	निजी भूमि
7	51	0.20	निजी भूमि
8	34	0.09	निजी भूमि
9	43	0.20	निजी भूमि
10	5	0.99	निजी भूमि
11	14	0.26	निजी भूमि
12	7	0.23	निजी भूमि
13	9	0.80	निजी भूमि
14	11	0.14	निजी भूमि

15	15	0.03	निजी भूमि
16	40/1	0.45	निजी भूमि
17	41	1.00	निजी भूमि
18	12	0.19	निजी भूमि
19	16	0.92	निजी भूमि
20	73	2.00	निजी भूमि
21	74	0.40	निजी भूमि
22	13	0.53	निजी भूमि
23	26/2	0.15	निजी भूमि
24	40/2	0.61	निजी भूमि
25	17	0.57	निजी भूमि
26	21	0.10	निजी भूमि
27	22	0.15	निजी भूमि
28	35	0.53	निजी भूमि
29	19	1.31	निजी भूमि
30	36	0.37	निजी भूमि
31	23	0.32	निजी भूमि
32	52/1	0.22	निजी भूमि
33	24	0.30	निजी भूमि
34	92	0.54	निजी भूमि
35	26/1	0.12	निजी भूमि
36	40/3	0.35	निजी भूमि
37	27	0.09	निजी भूमि
38	30	0.09	निजी भूमि
39	33	0.14	निजी भूमि
40	28	0.16	निजी भूमि
41	29	0.35	निजी भूमि

42	48	0.67	निजी भूमि
43	49	0.38	निजी भूमि
44	68	1.15	निजी भूमि
45	69	0.55	निजी भूमि
46	31	0.03	निजी भूमि
47	38	0.36	निजी भूमि
48	39	0.70	निजी भूमि
49	66	0.24	निजी भूमि
50	52/2	0.55	निजी भूमि
51	52/3	0.55	निजी भूमि
52	52/4	0.54	निजी भूमि
53	62	0.31	निजी भूमि
54	64	0.35	निजी भूमि
55	70	0.60	निजी भूमि
56	71	2.00	निजी भूमि
57	72	1.50	निजी भूमि
58	93	0.30	निजी भूमि
59	97	0.47	निजी भूमि
	योग	30.44	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौघन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मझौली तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील- पन्ना  
 (ग) ग्राम - कटहरी बिलहटा  
 (घ) क्षेत्रफल- 163.73 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	1	2.02	निजी भूमि
2	78	0.05	निजी भूमि
3	93	0.27	निजी भूमि
4	96	0.19	निजी भूमि
5	138	0.26	निजी भूमि
6	190	0.64	निजी भूमि
7	234	0.95	निजी भूमि
8	237	0.03	निजी भूमि
9	241	0.04	निजी भूमि
10	285	1.03	निजी भूमि
11	344	0.99	निजी भूमि
12	2/1	1.01	निजी भूमि
13	66/1	0.11	निजी भूमि
14	293	1.87	निजी भूमि
15	2/2	1.01	निजी भूमि

16	66/2	0.11	निजी भूमि
17	292	1.87	निजी भूमि
18	3	2.02	निजी भूमि
19	4	1.48	निजी भूमि
20	156	0.02	निजी भूमि
21	233/1	0.4	निजी भूमि
22	6	2.02	निजी भूमि
23	9	0.89	निजी भूमि
24	10	1.13	निजी भूमि
25	11	0.6	निजी भूमि
26	12	0.51	निजी भूमि
27	227	0.86	निजी भूमि
28	238	0.5	निजी भूमि
29	240	0.31	निजी भूमि
30	258	0.35	निजी भूमि
31	26	0.34	निजी भूमि
32	269	0.78	निजी भूमि
33	27	0.34	निजी भूमि
34	30	0.56	निजी भूमि
35	34	0.18	निजी भूमि
36	59	0.05	निजी भूमि
37	60	0.05	निजी भूमि
38	69	0.03	निजी भूमि
39	70	0.22	निजी भूमि
40	89	0.16	निजी भूमि
41	92	0.22	निजी भूमि
42	13	3.05	निजी भूमि

43	179/1	1.00	निजी भूमि
44	221	0.05	निजी भूमि
45	222	0.55	निजी भूमि
46	128/1	0.44	निजी भूमि
47	16/1	0.49	निजी भूमि
48	191/1	0.33	निजी भूमि
49	29	0.30	निजी भूमि
50	32/1	0.33	निजी भूमि
51	72	0.10	निजी भूमि
52	79	0.18	निजी भूमि
53	16/2	0.49	निजी भूमि
54	191/2	0.07	निजी भूमि
55	310	0.19	निजी भूमि
56	18/1	1.18	निजी भूमि
57	71	0.08	निजी भूमि
58	111/1	1.38	निजी भूमि
59	167	0.71	निजी भूमि
60	217/1	1.05	निजी भूमि
61	282	0.13	निजी भूमि
62	18/2	1.19	निजी भूमि
63	74	0.07	निजी भूमि
64	111/2	1.13	निजी भूमि
65	164	1.09	निजी भूमि
66	217/2	1.05	निजी भूमि
68	177	0.08	निजी भूमि
69	178	0.05	निजी भूमि
70	179/4	0.1	निजी भूमि

71	21	0.56	निजी भूमि
72	268/2	1.21	निजी भूमि
73	37	0.3	निजी भूमि
74	38	2.34	निजी भूमि
75	186	0.98	निजी भूमि
76	23	0.35	निजी भूमि
77	280	0.83	निजी भूमि
78	87	0.22	निजी भूमि
79	88	0.22	निजी भूमि
80	90	0.09	निजी भूमि
81	25	2.66	निजी भूमि
82	55	0.35	निजी भूमि
83	179/2	0.30	निजी भूमि
84	268/1	1.22	निजी भूमि
85	281	0.12	निजी भूमि
86	28	0.31	निजी भूमि
87	75	0.14	निजी भूमि
88	31	2.24	निजी भूमि
89	35	0.43	निजी भूमि
90	58	0.20	निजी भूमि
91	81	0.16	निजी भूमि
92	179/3	0.41	निजी भूमि
93	268/3	1.21	निजी भूमि
94	32/2	0.33	निजी भूमि
95	128/2	0.10	निजी भूमि
96	192	0.27	निजी भूमि
97	33	0.29	निजी भूमि

98	73	0.07	निजी भूमि
99	127	0.33	निजी भूमि
100	39	2.02	निजी भूमि
101	52	0.12	निजी भूमि
102	256	0.44	निजी भूमि
103	257	1.58	निजी भूमि
104	56	0.14	निजी भूमि
105	300	0.94	निजी भूमि
106	302	1.08	निजी भूमि
107	57	0.19	निजी भूमि
108	62	0.07	निजी भूमि
109	63	0.02	निजी भूमि
110	83	0.02	निजी भूमि
111	84	0.07	निजी भूमि
112	99	0.88	निजी भूमि
113	67	0.24	निजी भूमि
114	76	0.09	निजी भूमि
115	116	0.48	निजी भूमि
116	117	0.40	निजी भूमि
117	129	1.09	निजी भूमि
118	137/1	0.13	निजी भूमि
119	77	0.07	निजी भूमि
120	86	0.22	निजी भूमि
121	118	0.42	निजी भूमि
122	119	0.44	निजी भूमि
123	187	0.8	निजी भूमि
124	228	0.6	निजी भूमि

125	266/2	0.63	निजी भूमि
126	339	2.02	निजी भूमि
127	80	0.04	निजी भूमि
128	294/1	0.38	निजी भूमि
129	85	0.18	निजी भूमि
130	114/2	0.14	निजी भूमि
131	229/1	0.41	निजी भूमि
132	91	0.13	निजी भूमि
133	298	1.87	निजी भूमि
134	110	0.84	निजी भूमि
135	284	0.62	निजी भूमि
136	326	0.55	निजी भूमि
137	112	0.13	निजी भूमि
138	271	0.44	निजी भूमि
139	317	0.12	निजी भूमि
140	318	0.9	निजी भूमि
141	319	0.35	निजी भूमि
142	113	0.68	निजी भूमि
143	195	2.02	निजी भूमि
144	208	0.30	निजी भूमि
145	286	1.05	निजी भूमि
146	114/1	0.08	निजी भूमि
147	266/1	0.64	निजी भूमि
148	114/3	0.13	निजी भूमि
149	137/2	0.18	निजी भूमि
150	229/2	0.42	निजी भूमि
151	115	0.27	निजी भूमि

152	122	0.28	निजी भूमि
153	123	0.19	निजी भूमि
154	124	0.18	निजी भूमि
155	348/107	1.04	निजी भूमि
156	120	0.78	निजी भूमि
157	215	1.7	निजी भूमि
158	325	0.31	निजी भूमि
159	121	0.35	निजी भूमि
160	134	0.23	निजी भूमि
161	141	0.21	निजी भूमि
162	272	0.32	निजी भूमि
163	125	0.44	निजी भूमि
164	161	0.24	निजी भूमि
165	131	0.48	निजी भूमि
166	132	0.44	निजी भूमि
167	143	0.08	निजी भूमि
168	133	0.22	निजी भूमि
169	152	0.03	निजी भूमि
170	182	0.39	निजी भूमि
171	184	0.14	निजी भूमि
172	223	1.20	निजी भूमि
173	224	1.16	निजी भूमि
174	225	1.80	निजी भूमि
175	254	1.35	निजी भूमि
176	255	0.33	निजी भूमि
177	295	1.27	निजी भूमि
178	347/193	0.50	निजी भूमि

179	136	0.24	निजी भूमि
180	146	0.07	निजी भूमि
181	226	0.68	निजी भूमि
182	139	0.25	निजी भूमि
183	154	0.04	निजी भूमि
184	299	0.66	निजी भूमि
185	331	1.14	निजी भूमि
186	332	0.22	निजी भूमि
187	149	0.07	निजी भूमि
188	157	0.03	निजी भूमि
189	270	1.37	निजी भूमि
190	150	0.04	निजी भूमि
191	163	0.27	निजी भूमि
192	349/107	1.85	निजी भूमि
193	160	0.25	निजी भूमि
194	233/2	0.59	निजी भूमि
195	188/1	0.20	निजी भूमि
196	188/2	0.2	निजी भूमि
197	291/2	0.93	निजी भूमि
198	193	0.31	निजी भूमि
199	218	0.5	निजी भूमि
200	196	0.41	निजी भूमि
201	330	1.61	निजी भूमि
202	197	0.17	निजी भूमि
203	212	1.08	निजी भूमि
204	323	0.76	निजी भूमि
205	199	1.37	निजी भूमि

206	200	0.22	निजी भूमि
207	311	0.65	निजी भूमि
208	346	1.00	निजी भूमि
209	201	0.53	निजी भूमि
210	324	1.14	निजी भूमि
212	204	0.48	निजी भूमि
213	341/4	0.07	निजी भूमि
214	205	0.36	निजी भूमि
215	334	1.65	निजी भूमि
216	214	0.52	निजी भूमि
217	230	0.43	निजी भूमि
218	320	0.96	निजी भूमि
219	217/3	1.06	निजी भूमि
220	231	0.42	निजी भूमि
221	321	0.95	निजी भूमि
222	343	0.53	निजी भूमि
223	239	1.00	निजी भूमि
224	244	0.09	निजी भूमि
225	245	0.86	निजी भूमि
226	242	0.36	निजी भूमि
227	253	0.31	निजी भूमि
228	263	1.28	निजी भूमि
229	246	0.56	निजी भूमि
230	247	0.32	निजी भूमि
231	248	0.36	निजी भूमि
232	251	0.78	निजी भूमि
233	249	2.02	निजी भूमि

234	259	1.17	निजी भूमि
235	260	0.78	निजी भूमि
236	261	0.77	निजी भूमि
237	262	0.58	निजी भूमि
238	267	0.67	निजी भूमि
239	264	2.02	निजी भूमि
240	265	2.02	निजी भूमि
241	287	0.98	निजी भूमि
242	297	1.04	निजी भूमि
243	289	1.15	निजी भूमि
244	290	0.87	निजी भूमि
245	291/1	0.92	निजी भूमि
246	294/2	0.41	निजी भूमि
247	294/3	0.41	निजी भूमि
248	294/4	0.41	निजी भूमि
249	294/5	0.41	निजी भूमि
250	296	0.42	निजी भूमि
251	301	1.6	निजी भूमि
252	306	0.20	निजी भूमि
253	328	0.29	निजी भूमि
254	341/1	0.26	निजी भूमि
255	337/1	0.34	निजी भूमि
256	337/2	0.33	निजी भूमि
257	337/3	0.34	निजी भूमि
258	337/4	0.33	निजी भूमि
259	337/5	0.08	निजी भूमि
260	338	0.25	निजी भूमि

261	341/2	0.56	निजी भूमि
262	341/3	0.56	निजी भूमि
263	342	2.02	निजी भूमि
264	345	2.02	निजी भूमि
	योग	163.73	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कटहरी बिलहटा तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला	-	पन्ना
(ख)	तहसील	-	अमानगंज
(ग)	ग्राम	-	कूडन
(घ)	क्षेत्रफल	-	71.27 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	1	0.3	निजी भूमि
2	135	0.25	निजी भूमि
3	138	0.17	निजी भूमि
4	33	0.58	निजी भूमि
5	55	0.05	निजी भूमि
6	7	0.09	निजी भूमि
7	2	0.77	निजी भूमि
8	4	0.37	निजी भूमि
9	3	1.15	निजी भूमि
10	5	0.57	निजी भूमि
11	137	0.74	निजी भूमि
12	56	0.05	निजी भूमि
13	57	0.16	निजी भूमि
14	58	0.13	निजी भूमि
15	6	0.75	निजी भूमि
16	63	0.44	निजी भूमि

17	64	0.15	निजी भूमि
18	65	0.41	निजी भूमि
19	243/1	1.06	निजी भूमि
20	8	0.7	निजी भूमि
21	87	0.31	निजी भूमि
22	10	0.18	निजी भूमि
23	157	0.07	निजी भूमि
24	207	0.11	निजी भूमि
25	208	0.65	निजी भूमि
26	210	0.20	निजी भूमि
27	219	0.20	निजी भूमि
28	237	1.00	निजी भूमि
29	11	0.42	निजी भूमि
30	119	0.15	निजी भूमि
31	12	1.1	निजी भूमि
32	159	0.37	निजी भूमि
33	160	0.24	निजी भूमि
34	165	0.23	निजी भूमि
35	17	0.54	निजी भूमि
36	18	1.87	निजी भूमि
37	14	0.93	निजी भूमि
38	179	0.42	निजी भूमि
39	15	0.8	निजी भूमि
40	23	0.05	निजी भूमि
41	112	0.09	निजी भूमि
42	113	0.14	निजी भूमि
43	115	0.13	निजी भूमि
44	116	0.12	निजी भूमि

45	154	0.08	निजी भूमि
46	155	0.08	निजी भूमि
47	172	0.31	निजी भूमि
48	174	0.85	निजी भूमि
49	16	0.46	निजी भूमि
50	100	1.13	निजी भूमि
51	101	0.45	निजी भूमि
52	24	0.11	निजी भूमि
53	242/1	0.16	निजी भूमि
54	31	0.17	निजी भूमि
55	32	0.18	निजी भूमि
56	79	0.03	निजी भूमि
57	93/1	0.07	निजी भूमि
58	26	0.65	निजी भूमि
59	122	0.25	निजी भूमि
60	123	0.24	निजी भूमि
61	124	0.38	निजी भूमि
62	134	0.18	निजी भूमि
63	27	0.78	निजी भूमि
64	28	0.26	निजी भूमि
65	29	0.29	निजी भूमि
66	242/2	0.16	निजी भूमि
67	30/1	0.17	निजी भूमि
68	242/3	0.15	निजी भूमि
69	30/2	0.17	निजी भूमि
70	93/2	0.02	निजी भूमि
71	35	0.3	निजी भूमि
72	36	1.8	निजी भूमि

73	241/1/1	0.33	निजी भूमि
74	37/1	0.15	निजी भूमि
75	241/1/2	0.32	निजी भूमि
76	37/2	0.15	निजी भूमि
77	241/1/3	0.32	निजी भूमि
78	37/3	0.15	निजी भूमि
79	241/1/4	0.32	निजी भूमि
80	37/4	0.15	निजी भूमि
81	149	0.65	निजी भूमि
82	150	0.54	निजी भूमि
83	38	0.31	निजी भूमि
84	39	0.60	निजी भूमि
85	114	0.21	निजी भूमि
86	186	0.10	निजी भूमि
87	41	1.06	निजी भूमि
88	90	0.22	निजी भूमि
89	43	0.74	निजी भूमि
90	45	0.10	निजी भूमि
91	46	0.14	निजी भूमि
92	47	0.10	निजी भूमि
93	48	0.07	निजी भूमि
94	59	0.15	निजी भूमि
95	60	0.15	निजी भूमि
96	61	0.16	निजी भूमि
97	62	0.16	निजी भूमि
98	66	0.16	निजी भूमि
99	192	0.20	निजी भूमि
100	211	0.09	निजी भूमि

101	216	0.16	निजी भूमि
102	67	0.08	निजी भूमि
103	121	0.25	निजी भूमि
104	132	0.37	निजी भूमि
105	136	0.18	निजी भूमि
106	69	0.12	निजी भूमि
107	88	0.4	निजी भूमि
108	89	0.17	निजी भूमि
109	128	0.25	निजी भूमि
110	130	0.21	निजी भूमि
111	232	0.86	निजी भूमि
112	239	0.57	निजी भूमि
113	70	0.16	निजी भूमि
114	73	0.05	निजी भूमि
115	77	0.24	निजी भूमि
116	83	0.10	निजी भूमि
117	71	0.19	निजी भूमि
118	161	0.77	निजी भूमि
119	241/2	0.33	निजी भूमि
120	243/2	0.12	निजी भूमि
121	72	0.16	निजी भूमि
122	74	0.05	निजी भूमि
123	75	0.05	निजी भूमि
124	78	0.46	निजी भूमि
125	85	0.13	निजी भूमि
126	163	0.20	निजी भूमि
127	164	0.10	निजी भूमि
128	226	0.14	निजी भूमि

129	233	0.84	निजी भूमि
130	76	0.15	निजी भूमि
131	144	1.56	निजी भूमि
132	145	0.09	निजी भूमि
133	146	1.3	निजी भूमि
134	147	0.28	निजी भूमि
135	175	0.2	निजी भूमि
136	217	0.22	निजी भूमि
137	246/230	0.4	निजी भूमि
138	81	0.34	निजी भूमि
139	96	0.75	निजी भूमि
140	82	0.20	निजी भूमि
141	84	0.16	निजी भूमि
142	242/4	0.15	निजी भूमि
143	91	0.01	निजी भूमि
144	92	0.11	निजी भूमि
145	93/3	0.07	निजी भूमि
146	176	0.19	निजी भूमि
147	177	0.13	निजी भूमि
148	180	0.38	निजी भूमि
149	181	0.28	निजी भूमि
150	182	0.23	निजी भूमि
151	183	0.22	निजी भूमि
152	184	0.18	निजी भूमि
153	185	0.27	निजी भूमि
154	94	0.30	निजी भूमि
155	107	0.36	निजी भूमि
156	97	0.38	निजी भूमि

157	102	1.04	निजी भूमि
158	120	0.17	निजी भूमि
159	125	0.24	निजी भूमि
160	126	0.27	निजी भूमि
161	129	0.25	निजी भूमि
162	103	0.38	निजी भूमि
163	105	0.60	निजी भूमि
164	104	0.85	निजी भूमि
165	106	1.19	निजी भूमि
166	231	0.51	निजी भूमि
167	108	0.90	निजी भूमि
168	109	0.84	निजी भूमि
169	110	0.24	निजी भूमि
170	111	0.24	निजी भूमि
171	117	0.10	निजी भूमि
172	118	0.08	निजी भूमि
173	133	0.48	निजी भूमि
174	156	0.30	निजी भूमि
175	158	0.31	निजी भूमि
176	178	0.31	निजी भूमि
177	167	0.11	निजी भूमि
178	168	0.54	निजी भूमि
179	188	0.38	निजी भूमि
180	189	0.05	निजी भूमि
181	190	0.05	निजी भूमि
182	191	0.20	निजी भूमि
183	218	0.03	निजी भूमि
184	221	0.11	निजी भूमि

185	223	0.45	निजी भूमि
186	224	0.30	निजी भूमि
187	235	0.46	निजी भूमि
188	236	0.71	निजी भूमि
189	169	0.36	निजी भूमि
190	170	0.35	निजी भूमि
191	171	0.22	निजी भूमि
192	187	0.64	निजी भूमि
193	209	0.37	निजी भूमि
194	220	0.18	निजी भूमि
195	234	0.48	निजी भूमि
196	212	0.02	निजी भूमि
197	240	0.36	निजी भूमि
198	225	0.65	निजी भूमि
199	227	0.39	निजी भूमि
200	230	0.07	निजी भूमि
201	228	0.34	निजी भूमि
202	229	0.64	निजी भूमि
	योग	71.27 हे०	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौघन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कूडन तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील- अमानगंज  
 (ग) ग्राम - मरहा  
 (घ) क्षेत्रफल- 111.24 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	132	0.40	निजी भूमि
2	138	0.15	निजी भूमि
3	150	1.06	निजी भूमि
4	180	0.45	निजी भूमि
5	21	1.01	निजी भूमि
6	23	1.29	निजी भूमि
7	5	0.36	निजी भूमि
8	130	0.32	निजी भूमि
9	139	0.24	निजी भूमि
10	140	0.10	निजी भूमि
11	161	0.83	निजी भूमि
12	228	0.26	निजी भूमि
13	59	0.35	निजी भूमि
14	60	0.30	निजी भूमि
15	61	0.51	निजी भूमि

16	62	0.31	निजी भूमि
17	7	0.59	निजी भूमि
18	89	0.47	निजी भूमि
19	103	0.17	निजी भूमि
20	127	0.10	निजी भूमि
21	27	0.82	निजी भूमि
22	28	0.29	निजी भूमि
23	51	0.17	निजी भूमि
24	8	0.68	निजी भूमि
25	234/2	0.14	निजी भूमि
26	327/2	0.23	निजी भूमि
27	86	0.10	निजी भूमि
28	9/1	0.10	निजी भूमि
29	120	0.12	निजी भूमि
30	154/2	0.47	निजी भूमि
31	17/2	0.58	निजी भूमि
32	233/2	0.07	निजी भूमि
33	234/1	0.08	निजी भूमि
34	243/2	0.42	निजी भूमि
35	315/2	0.46	निजी भूमि
36	327/1	0.20	निजी भूमि
37	328	0.45	निजी भूमि
38	83	0.20	निजी भूमि
39	84	0.11	निजी भूमि
40	9/2	0.15	निजी भूमि
41	115/2	0.10	निजी भूमि
42	154/3	0.45	निजी भूमि

43	17/3	0.58	निजी भूमि
44	233/1	0.14	निजी भूमि
45	243/3	0.42	निजी भूमि
46	315/3	0.46	निजी भूमि
47	326/2	0.64	निजी भूमि
48	85	0.43	निजी भूमि
49	9/3	0.10	निजी भूमि
50	110	0.13	निजी भूमि
51	15	0.23	निजी भूमि
52	160	0.48	निजी भूमि
53	229	0.08	निजी भूमि
54	24	0.83	निजी भूमि
55	25	0.34	निजी भूमि
56	26	0.61	निजी भूमि
57	134	0.34	निजी भूमि
58	137	0.19	निजी भूमि
59	153	0.40	निजी भूमि
60	16	0.74	निजी भूमि
61	181	0.26	निजी भूमि
62	182	0.94	निजी भूमि
63	42	0.10	निजी भूमि
64	17/1/1	0.20	निजी भूमि
65	243/1	0.42	निजी भूमि
66	326/1	0.41	निजी भूमि
67	87/1	0.10	निजी भूमि
68	17/1/2	0.19	निजी भूमि
69	315/1/1	0.23	निजी भूमि

70	87/2	0.06	निजी भूमि
71	88/2	0.06	निजी भूमि
72	115/1	0.10	निजी भूमि
73	17/1/3	0.19	निजी भूमि
74	315/1/2	0.23	निजी भूमि
75	88/1	0.10	निजी भूमि
76	109	0.16	निजी भूमि
77	125	0.25	निजी भूमि
78	169	0.79	निजी भूमि
79	172	0.15	निजी भूमि
80	173	0.30	निजी भूमि
81	177	0.21	निजी भूमि
82	18	0.70	निजी भूमि
83	285	1.00	निजी भूमि
84	307	0.96	निजी भूमि
85	39	0.30	निजी भूमि
86	41	0.33	निजी भूमि
87	44	0.12	निजी भूमि
88	106	0.18	निजी भूमि
89	107	0.05	निजी भूमि
90	20	0.36	निजी भूमि
91	159	0.66	निजी भूमि
92	179	0.66	निजी भूमि
93	231	0.15	निजी भूमि
94	29	0.52	निजी भूमि
95	32	0.45	निजी भूमि
96	331	0.66	निजी भूमि

97	37	2.00	निजी भूमि
98	40	0.54	निजी भूमि
99	66	0.12	निजी भूमि
100	69	0.56	निजी भूमि
101	92	0.18	निजी भूमि
102	108	0.33	निजी भूमि
103	114	0.21	निजी भूमि
104	116	0.09	निजी भूमि
105	148	1.05	निजी भूमि
106	166	1.52	निजी भूमि
107	174	0.36	निजी भूमि
108	232	0.18	निजी भूमि
109	286	0.30	निजी भूमि
110	30	0.62	निजी भूमि
111	306	1.87	निजी भूमि
112	31	1.58	निजी भूमि
113	332	1.19	निजी भूमि
114	48	0.26	निजी भूमि
115	49	0.16	निजी भूमि
116	50	0.60	निजी भूमि
117	80	0.11	निजी भूमि
118	34	1.65	निजी भूमि
119	112	0.27	निजी भूमि
120	149	0.48	निजी भूमि
121	158	0.99	निजी भूमि
122	176	0.56	निजी भूमि
123	43	0.14	निजी भूमि

124	45	0.09	निजी भूमि
125	53	0.07	निजी भूमि
126	55	0.35	निजी भूमि
127	52	0.23	निजी भूमि
128	57	1.77	निजी भूमि
129	309	1.00	निजी भूमि
130	324	0.46	निजी भूमि
131	334	0.39	निजी भूमि
132	63	0.08	निजी भूमि
133	64	0.24	निजी भूमि
134	65	0.29	निजी भूमि
135	70	0.40	निजी भूमि
136	71	0.16	निजी भूमि
137	74	1.30	निजी भूमि
138	78	0.21	निजी भूमि
139	117	0.22	निजी भूमि
140	119/1	0.06	निजी भूमि
141	151/1	0.06	निजी भूमि
142	235/1	0.05	निजी भूमि
143	302	0.53	निजी भूमि
144	319	0.37	निजी भूमि
145	72/1	0.20	निजी भूमि
146	76	0.24	निजी भूमि
147	119/2	0.28	निजी भूमि
148	151/2	0.06	निजी भूमि
149	235/2	0.05	निजी भूमि
150	72/2	0.20	निजी भूमि

151	119/3	0.28	निजी भूमि
152	151/3	0.06	निजी भूमि
153	235/3	0.05	निजी भूमि
154	269	0.84	निजी भूमि
155	325	0.39	निजी भूमि
156	72/3	0.20	निजी भूमि
157	119/4	0.01	निजी भूमि
158	121	0.26	निजी भूमि
159	151/4	0.07	निजी भूमि
160	235/4	0.05	निजी भूमि
161	72/4	0.20	निजी भूमि
162	111	0.19	निजी भूमि
163	230	0.35	निजी भूमि
164	240	0.49	निजी भूमि
165	242	0.78	निजी भूमि
166	293/2	0.25	निजी भूमि
167	295	0.58	निजी भूमि
168	330	0.75	निजी भूमि
169	79	0.14	निजी भूमि
170	81	0.19	निजी भूमि
171	90	0.11	निजी भूमि
172	91	0.36	निजी भूमि
173	170	0.52	निजी भूमि
174	82	0.28	निजी भूमि
175	100	0.06	निजी भूमि
176	101	0.05	निजी भूमि
177	102	0.12	निजी भूमि

205	188	1.40	निजी भूमि
206	189	1.79	निजी भूमि
207	202	0.22	निजी भूमि
208	192	0.36	निजी भूमि
209	193	0.22	निजी भूमि
210	195	0.32	निजी भूमि
211	196	0.35	निजी भूमि
212	199	0.72	निजी भूमि
213	200	0.54	निजी भूमि
214	203	0.47	निजी भूमि
215	208	0.31	निजी भूमि
216	209	0.31	निजी भूमि
217	210	0.47	निजी भूमि
218	211	0.82	निजी भूमि
219	214	0.56	निजी भूमि
220	217	0.72	निजी भूमि
221	216/1	0.19	निजी भूमि
222	216/2	0.19	निजी भूमि
223	216/3	0.19	निजी भूमि
224	218	0.51	निजी भूमि
225	238	0.52	निजी भूमि
226	275	0.06	निजी भूमि
227	276	0.05	निजी भूमि
228	288	0.11	निजी भूमि
229	289	0.05	निजी भूमि
230	293/1	0.20	निजी भूमि
231	239	0.16	निजी भूमि

178	113	0.12	निजी भूमि
179	215	0.85	निजी भूमि
180	94	0.35	निजी भूमि
181	99	0.45	निजी भूमि
182	284	0.65	निजी भूमि
183	320	0.58	निजी भूमि
184	333	0.46	निजी भूमि
185	95	0.66	निजी भूमि
186	105	0.14	निजी भूमि
187	131	0.05	निजी भूमि
188	133	0.24	निजी भूमि
189	135	0.30	निजी भूमि
190	136	0.22	निजी भूमि
191	154/1	0.45	निजी भूमि
192	163	0.66	निजी भूमि
193	311	0.52	निजी भूमि
194	167	0.37	निजी भूमि
195	168	0.30	निजी भूमि
196	301	0.92	निजी भूमि
197	323	0.54	निजी भूमि
198	183/1	0.95	निजी भूमि
199	183/2	1.05	निजी भूमि
200	184	2.00	निजी भूमि
201	186	0.32	निजी भूमि
202	187	0.46	निजी भूमि
203	197	0.37	निजी भूमि
204	198	0.40	निजी भूमि

232	292	0.07	निजी भूमि
233	317	0.99	निजी भूमि
234	250	1.23	निजी भूमि
235	257	1.68	निजी भूमि
236	264/2	2.00	निजी भूमि
237	278	1.16	निजी भूमि
238	279	1.42	निजी भूमि
239	308	0.45	निजी भूमि
240	310	0.52	निजी भूमि
241	312	0.66	निजी भूमि
242	314	0.60	निजी भूमि
243	316	0.63	निजी भूमि
244	321	1.18	निजी भूमि
245	322	0.82	निजी भूमि
246	336	0.61	निजी भूमि
247	329	0.77	निजी भूमि
	योग	111.24	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौघन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मरहा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील- अमानगंज  
 (ग) ग्राम - खमरी  
 (घ) क्षेत्रफल- 49.25 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	13	1.01	निजी भूमि
2	175	0.2	निजी भूमि
3	14	0.3	निजी भूमि
4	42	0.43	निजी भूमि
5	107	0.31	निजी भूमि
6	108	0.21	निजी भूमि
7	116	0.6	निजी भूमि
8	124	0.45	निजी भूमि
9	138	0.18	निजी भूमि
10	15	0.3	निजी भूमि
11	24	0.25	निजी भूमि
12	29	0.21	निजी भूमि
13	113	0.07	निजी भूमि
14	114	0.12	निजी भूमि
15	115	0.34	निजी भूमि
16	120	0.14	निजी भूमि

17	121	0.09	निजी भूमि
18	127	0.14	निजी भूमि
19	25/1	0.15	निजी भूमि
20	28/1	0.02	निजी भूमि
21	25/2	0.09	निजी भूमि
22	25/3	0.09	निजी भूमि
23	26	0.25	निजी भूमि
24	48/2	0.33	निजी भूमि
25	137	0.17	निजी भूमि
26	27	0.22	निजी भूमि
27	31/1	0.13	निजी भूमि
28	95	0.32	निजी भूमि
29	28/2	0.16	निजी भूमि
30	106	0.27	निजी भूमि
31	30	0.37	निजी भूमि
32	102	0.11	निजी भूमि
33	31/2	0.12	निजी भूमि
34	32	0.38	निजी भूमि
35	134/1	0.02	निजी भूमि
36	33/1	0.17	निजी भूमि
37	45	0.46	निजी भूमि
38	46/1	0.47	निजी भूमि
39	134/2	0.01	निजी भूमि
40	33/2	0.17	निजी भूमि
41	46/2	0.46	निजी भूमि
42	47	0.49	निजी भूमि
43	142	0.25	निजी भूमि
44	168	0.32	निजी भूमि
45	181	0.6	निजी भूमि
46	182	0.37	निजी भूमि
47	183	0.27	निजी भूमि

48	191	0.16	निजी भूमि
49	41	0.88	निजी भूमि
50	43	0.21	निजी भूमि
51	84	0.34	निजी भूमि
52	111	0.26	निजी भूमि
53	112/1	0.08	निजी भूमि
54	159	0.35	निजी भूमि
55	44	0.28	निजी भूमि
56	145	0.21	निजी भूमि
57	48/1	0.34	निजी भूमि
58	65	0.19	निजी भूमि
59	155	0.5	निजी भूमि
60	169	0.38	निजी भूमि
61	49	0.33	निजी भूमि
62	50	0.16	निजी भूमि
63	51	0.11	निजी भूमि
64	52	0.05	निजी भूमि
65	89	0.51	निजी भूमि
66	90	0.19	निजी भूमि
67	94	0.29	निजी भूमि
68	161/1	0.1	निजी भूमि
69	53	0.06	निजी भूमि
70	56/1	0.15	निजी भूमि
71	82	0.23	निजी भूमि
72	150	0.5	निजी भूमि
73	164	0.1	निजी भूमि
74	165	0.32	निजी भूमि
75	166	0.26	निजी भूमि
76	55	0.68	निजी भूमि
77	73	0.15	निजी भूमि
78	77	0.37	निजी भूमि

79	167	0.51	निजी भूमि
80	56/2	0.06	निजी भूमि
81	58	0.3	निजी भूमि
82	61	0.24	निजी भूमि
83	62	0.18	निजी भूमि
84	81	0.07	निजी भूमि
85	63	0.89	निजी भूमि
86	72	0.21	निजी भूमि
87	78	0.29	निजी भूमि
88	79	0.19	निजी भूमि
89	80	0.24	निजी भूमि
90	131	0.03	निजी भूमि
91	146	0.38	निजी भूमि
92	147	0.34	निजी भूमि
93	148	0.33	निजी भूमि
94	64	0.15	निजी भूमि
95	66	0.31	निजी भूमि
96	67	0.07	निजी भूमि
97	163/1	0.38	निजी भूमि
98	170	0.2	निजी भूमि
99	171	0.18	निजी भूमि
100	172	0.26	निजी भूमि
101	173	0.18	निजी भूमि
102	199	0.3	निजी भूमि
103	206	0.34	निजी भूमि
104	68/1	0.05	निजी भूमि
105	68/2	0.04	निजी भूमि
106	69	0.02	निजी भूमि
107	143	0.11	निजी भूमि
108	144	0.12	निजी भूमि
109	163/2	0.5	निजी भूमि

110	189	0.35	निजी भूमि
111	196	0.09	निजी भूमि
112	197	0.18	निजी भूमि
113	207	0.47	निजी भूमि
114	70	0.15	निजी भूमि
115	74	0.22	निजी भूमि
116	177	0.11	निजी भूमि
117	193	0.21	निजी भूमि
118	71	0.31	निजी भूमि
119	149	0.53	निजी भूमि
120	158/1	0.3	निजी भूमि
121	75	0.17	निजी भूमि
122	76	0.42	निजी भूमि
123	157/1	0.39	निजी भूमि
124	88	0.37	निजी भूमि
125	91	0.35	निजी भूमि
126	92	0.47	निजी भूमि
127	93	0.06	निजी भूमि
128	194	0.17	निजी भूमि
129	96	0.18	निजी भूमि
130	184	0.5	निजी भूमि
131	187	0.23	निजी भूमि
132	97	0.4	निजी भूमि
133	192	0.21	निजी भूमि
134	161/4	0.3	निजी भूमि
135	99	0.18	निजी भूमि
136	100	0.12	निजी भूमि
137	140	0.08	निजी भूमि
138	101	0.08	निजी भूमि
139	139	0.11	निजी भूमि
140	201	0.7	निजी भूमि
141	103	0.4	निजी भूमि
142	104	0.07	निजी भूमि
143	105	0.35	निजी भूमि
144	110	0.16	निजी भूमि
145	112/2	0.08	निजी भूमि
146	158/2	0.3	निजी भूमि
147	109	0.4	निजी भूमि
148	136	0.32	निजी भूमि
149	119	0.45	निजी भूमि
150	122	0.09	निजी भूमि
151	205	0.52	निजी भूमि

152	123	0.45	निजी भूमि
153	135	0.31	निजी भूमि
154	128	0.19	निजी भूमि
155	129	0.35	निजी भूमि
156	132	0.13	निजी भूमि
157	133	0.06	निजी भूमि
158	160	0.36	निजी भूमि
159	179	0.12	निजी भूमि
160	180	0.51	निजी भूमि
161	186	0.5	निजी भूमि
162	188	0.31	निजी भूमि
163	130	0.2	निजी भूमि
164	151	0.36	निजी भूमि
165	153	0.2	निजी भूमि
166	152	0.42	निजी भूमि
167	157/2	0.36	निजी भूमि
168	174	0.33	निजी भूमि
169	195	0.15	निजी भूमि
170	198	0.15	निजी भूमि
171	161/3	0.55	निजी भूमि
172	176	0.2	निजी भूमि
173	190	0.45	निजी भूमि
174	178	0.5	निजी भूमि
175	202	0.63	निजी भूमि
176	203	0.56	निजी भूमि
177	161/2	0.55	निजी भूमि
	योग	49.25 हे०	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौघन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम खमरी तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलार्डमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	नरसिंहपुरा	26.188	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 फरवरी 2019 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलार्डमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सराना	11.144	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 21-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 6 जुलाई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेंट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सोनकच्छ	18.091	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 24-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेंट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामोन्धा जोहार	12.194	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 25-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	श्यामपुरा	0.151	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 23-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामोन्या गणेश	5.565	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 14-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 अप्रैल 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

## अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोलूखेडी	9.040	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 17-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

## अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	पालजागीर	4.984	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सेमलागोवा	8.069	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 फरवरी 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	गीलाखेडी	4.998	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

जिला	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	मानपिछोडी	6.396	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

जिला	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	कडियामित्रसेन	4.114	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	बिजोरी	7.959	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 18-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलामेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोईलीखुर्द	2.430	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 अप्रैल 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	छपरीकलां	5.503	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सेमलखेडी	9.491	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	पाडल्याबना	7.523	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2017 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	कहारपुरा	4.330	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 जुलाई 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सागपुर	2.785	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-2016-17.—नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 जून 2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय-सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	चैनपुरकलां	7.125	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 0012-अ-82-2020-21.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 अप्रैल 2021 को कराया गया था। पंचायत एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन (माह मई, जून एवं जुलाई 2022) के कारण सीमांकन में विलंब होने के कारण 1 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका।

अतः, भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:—

### अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	खिलचीपुर	मदनपुरी नेश छीपीपुरा	1.426 0.063 5.694	मदनपुरा लघु सिंचाई परियोजना के इस क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
		योग	7.183	

- (2) भूमि के नक्शे, (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-1-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	फुरताल खुर्द	3.634	कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	वरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-2-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	मझगावांखुर्द	2.465	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-3-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गौरा	2.784	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-4-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोनी	1.550	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-5-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	फुरताल कला	0.233	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-6-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बमुरहिया	7.984	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-7-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खडहरा	2.338	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-8-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	घदेह खुर्द	6.628	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-9-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रहिकवारा	15.865	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-10-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गजना बध्वाव	1.491	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

## संशोधन

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

रतलाम, दिनांक 14 नवम्बर 2022

क्र. 4390-भू-अर्जन-22-01-अ-82-2022-23-कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 1867-68-भू-अर्जन-22 दिनांक 21 जून 2022 के द्वारा "अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच. एस.-31) से भैसाना फण्टा (एच. एस.-31) मार्ग निर्माण योजना" अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प. ह. नं. 46 के ग्राम हरियाखेडा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया था, उक्त सार्वजनिक सूचना के अनुक्रमांक 6 पर दर्शित भूधारक श्री अम्वाराम पिता धुरा कुलम्बी, निवासी हरियाखेडा, तहसील पिपलौदा की भूमि सर्वे क्रमांक 53/2 रकबा 0.02 हे. टंकण त्रुटि से अंकित हो गया था जिसके स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक 53 तथा अर्जित भूमि रकबा 0.2 हे. पढ़ा जावे.

अतः तदनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

क्र. 9419-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2022.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-गोंडीबडोना, तहसील सौंसर के गोंडीबडोना जलाशय के बांध निर्माण हेतु एवं ग्राम संगम, दीप, भोयारी रैयत, कोहटैयत, वीजागोरा, टीकाडी, तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत संगम 2 बांध से डूब प्रभावित ग्रामों हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 एवं 26 नवम्बर 2021 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3916-कार्य-2022-छिन्दवाड़ा दिनांक 25 नवम्बर 2022 एवं पत्र क्रमांक 3945-कार्य-2022 छिन्दवाड़ा दिनांक 28 नवम्बर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19(7) उपधारा 1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र. 9420-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2022.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम कुकडीखापा तहसील पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण) लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 20 अगस्त 2021 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवाई आदेश पारित नहीं किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3463-कार्य-भू-अर्जन-2022-23, छिन्दवाड़ा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र. 9421-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2022.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम कुकडीखापा तहसील पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण) लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 20 अगस्त 2021 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवाई आदेश पारित नहीं किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3463-कार्य-भू-अर्जन-2022-23, छिन्दवाड़ा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 28 सितम्बर 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और  
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

[क्र. 30, सन् 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत]

क्र. 206-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का  
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि  
की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए  
आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में  
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की  
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त  
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—खरगोन  
(ग) ग्राम—आवली  
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—0.673 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.022
5/2	0.020
5/3	0.020
5/4	0.030
5/5	0.030
5/8	0.030
7/1	0.085
9	0.206
10	0.089
20	0.141

कुल योग : 0.673

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता  
है—“डेहरी क्रमांक 2 तालाब के माईनर नहर कार्य के  
निर्माण हेतु”
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा  
परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे  
पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और  
पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना  
आवश्यक नहीं है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन  
किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

प्र. क्र. 01-अ-82-22-23.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में पद (1) में वर्णित  
भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के  
लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन  
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की  
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त  
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण —

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—बुधनी  
(ग) नगर/ग्राम का नाम—बेरखेड़ी  
(घ) क्षेत्रफल—1.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
53/11/1/2 एस	0.283
68/2 एस	0.089
68/3 एस	0.348
68/4 एस	0.222
69	0.130

योग . . 1.072

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता  
है—नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग  
निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय  
अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा  
सकता है.

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.